राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्ययक सत्र की कार्यवाही

पन्द्रहवीं बैठक-सोमवार, दिनांक १८ अप्रेल, सन् १९५२ ई०

सभा की बैठक आज तारीख १८ अप्रेल, १९५२ ई० को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर में ८ बजकर ३० मिनिट पर प्रारम्भ हुई । माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष पद पर आसीन ।

अल्पकाल-सूचना प्रश्न

श्री कपिलदेव अग्रवाल:-क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

१.(क) १ अप्रेल १९५० के बाद सिविल असिस्टेंट सर्जन क्लास फर्स्ट में कितनी नियुक्तियां हुई हैं और कौन कौन सी तारीख को ?

(ख) अगर हां तो क्या उन्होंने १३ जनवरी १९५१ के राजस्थान राजपत्र के विशेषांक प्रथम भाग में छपी हुई ११ जनवरी १९५१ की राजाज्ञा नं० एफ. १.(१) आर / ५१ के अनुसार एक वर्ष के लिए हाउस सर्जन या हाउस फिजिशियन-शिप की थी, अगर नहीं तो राजाज्ञा के विपरीत ऐसी नियुक्तियां क्यों की गयी ?

(ग) क्या गवर्नमेंट के पास उस समय ऐसे डाक्टर भी मौजूद थे जो सिविल असिस्टेंट सर्जन क्लास दो में मुस्तकिल थे और मिलने वाली रियासतों द्वारा गवर्नमेंट खर्चे पर संक्षिप्त एम.बी.बी.एस. के लिये भेजे जाकर वापस एम.बी.बी.एस करके आ चुके थे ?

(घ). अगर हां तो ऐसे डाक्टरों को क्लास फर्स्ट क्यों नहीं दिया गया और नये डाक्टरों को क्यों दिया गया ?

(ङ) १ जनवरी १९५१ तक ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी थी और अब गवर्नमेंट ऐसे डाक्टरों को क्लास फर्स्ट कब दे रही है ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास

	नियुक्ति की तारीख
डा. (मिस) शीला रानी माथुर	२५-५-१९५०
डा.आर.एस.अग्रवाल	१८-५-१९५०
डा.मिस ओमप्रकाश जोशी	१-१-१९५१
डा.बी.पी.जैन	२०-२-१९५१
डा.जी.बी.मेहता	७-९-५१
डा.सुशीला अग्रवाल	अक्टूबर १९५१
डा.मिस सुशीला चौपड़ा	१-३-१९५२
डा.मिस सुशीला गुप्ता	अभी तक कार्यभार नहीं संभाला
डा.पी.के.माथुर	२०-८-१९५१
डा.अचलमल सिंघवी	२२-२-१९५२.

(ख) सब डाक्टरों की नियुक्तियां १-१-१९५१ के बाद की गई जब कि सर्क्युलर नम्बर एफ. १-आर / फोर्स में आया। ये हाउस सर्जन की जगह काम कर चुके थे।

(ग) उपरोक्त तमाम नियुक्तियां अस्थायी हैं और उनका कनफर्मेशन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा होगा। श्रेणी के उन डाक्टरों का प्रमोशन जिन्होंने कन्डेन्स्ड एम.बी.बी.एस. का इम्तहान पास कर लिया था, गवर्नमेंट के विचाराधीन है।

यह सिफारिश कर ली गई है कि क्लास १ के केडर की नौकरियां इन डाक्टरों द्वारा पूरी की जाय। यह भी देखने की बात है कि आठ में चार नियुक्तियां लेडी डाक्टरों की हुई हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट स्कोलर्स होकर पास कर के आये हैं उन्हें प्रिफरेंस दिया गया।

श्री कपिलदेव:—इनमें से जो चार नाम हैं उन्होंने एक ने भी हाउस सर्जन का कार्य नहीं किया यह मैं चेलेन्ज करता हूं।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—जो डाक्टर साहबान की सूची पेश की गई है वे डाक्टर कालेज से पास होकर आये हैं और उन्होंने कई जगह काम किया है।

श्री वेदपाल त्यागी:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किस किस जगह उन्होंने काम किया है?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास

डा. (मिस) ओमप्रकाश जोशी	लेडी हार्डिन्ज हास्पिटल, देहली
डा.सुशीला चौपड़ा	लेडी हार्डिन्ज हास्पिटल देहली, जनाना अस्पताल, जयपुर
डा.मिस.सुशीला गुप्ता	लेडी हार्डिन्ज हास्पिटल, देहली, मेटरनिटी होम सदर

डा.सुशीला अग्रवाल..........

श्री कपिलदेव:--इन चार के अलावा बाकी

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:--डा. मेहता को स्पेशल योग्यता के कारण, और डा. पी.के. माथुर स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा सिलेक्ट किये गये थे और पब्लिक सरविस कमीशन द्वारा सी.ए.एस क्लास फर्स्ट में लिये गए थे, डा. अचलमल सिंघवी को टी.बी.के अन्दर स्पेशल योग्यता होने के कारण नियुक्ति दी गई थी। इसके बाद जनवरी में जो नियुक्तियां हुई वे सब हाउस सर्जन डाक्टर हैं। उनकी नियुक्तियां उस सर्क्युलर के मातहत हुई हैं।

श्री कपिलदेव:--माननीय मंत्री ने इस बात से सन्तोष कर लिया है कि जो सूचना उन्हें दी गई ह वह सही है ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:--जो इत्तला महकमे ने दी है उसे सही मानता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:--मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि खास ट्रेनिंग के लिए जो स्कालर्स सरकारी खर्चे से भेजे गये थे उन्होंने एम.बी.बी.एस. परीक्षा पास कर ली है। अनुभवी मौजूद होते हुए नये आदमियों को नौकरी दी गई उसकी वजह बता सकते हैं ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:--चार लेडी डाक्टर हैं जो बहुत कम अवेलेबल होती हैं। बाकी किसी ने लन्दन में वर्क किया है और किसी की सिलेक्शन बोर्ड ने सिफारिश की है और कोई पब्लिक सरविस कमीशन के मार्फत आयी हैं। यह सब होते हुए भी ये नियुक्तियां अस्थाई हैं। उन डाक्टरों की नियुक्तियों का जिन्होंने स्टेट के खर्चे से शिक्षा प्राप्त की है प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है उस पर अमल करने की बहुत जल्दी संभावना है।

श्री छोटूसिंह:--जो डाक्टर स्टेट के खर्चे से पढ़ कर आ रहे हैं उनकी नियुक्ति के लिए सरकार क्या नीति अपना रही है।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:--इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री जसवन्तसिंह:--अब हमारे यहां के डाक्टर जो एम.बी.बी.एस.का कोर्स समाप्त करके आयेंगे उनकी नियुक्ति के लिये सरकार कौनसी नीति अपना रही है उनको चान्स दिया जायगा या बाहर से आने वालों को दिया जायगा।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:--उनकी नियुक्ति पर जरूर विचार किया जायगा।

श्री दामोदर व्यास:--क्या उन्हीं की नियुक्ति के लिए विचार किया जायगा ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:--मोस्ट पोसीबली किया जायगा।

श्री दामोदर व्यास:--कब तक होने की संभावना है ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:--मैं समझता हूं शायद बहुत जल्दी हो जायगा।

प्रश्न संख्या ३८

श्री जसवन्तसिंह:--माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज इन्द्रनाथजी मोदी उपस्थित नहीं है क्या उनकी जगह मुझे प्रश्न पूछने की आज्ञा दी जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष:--अवश्य आप पूछ सकते हैं।

श्री जसवन्तसिंह:-- (क) क्या माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में यह बात है कि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए संबन्धित हल्कों में कुछ बातचीत हो रही है ?

(ख) यदि हां तो राजस्थान सरकार का इस संबन्ध में क्या मत है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--किसी दूसरे राज्य के अपने किसी दूसरे राज्य में मिलाने के लिए विधान के आर्टिकल ३ के मातहत कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था उससे पहले कुछ थोड़ा परिवर्तन हुआ है। जहां तक अजमेर मेरवाड़ा का ताल्लुक है वहां धारासभा बन गई है। ३ मिनिस्टरों की एक कोन्सिल भी बन गई है। राजस्थान सरकार की अभी तक यही राय है कि अजमेर और आबू राजस्थान में मिला दिये जायं।

श्री जसवन्तसिंह:--अजमेर मेरवाड़ा के लिए राजस्थान सरकार क्या कदम उठाने की कोशिश कर रही है? कब तक हम आशा कर सकते हैं? क्योंकि अब दोनों जगह विधान सभाएं बन गई हैं?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि अब केवल लिखा पढ़ी से काम नहीं होगा। अब संविधान की धारा ३ के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। इस समय अजमेर मेरवाड़ा में भी धारासभा है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--क्या इस प्रश्न को विधान सभा में लाया जायगा ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--उचित समझा जायगा तो जरूर लाया जायगा।

प्रश्न संख्या ३९।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलावेंगे कि कुछ समय पूर्व राजस्थान सरकार ने इस बात के हेतु किसी ऐसी समिति का निर्माण किया कि जयपुर नगर में स्थित कौन कौन से राज्य विभाग कौन कौन सी पुरानी राजधानियों में वितरित किये जा सकते हैं ताकि उनका महत्व कायम रखा जा सके ?

(ख) यदि हां, तो, क्या उस समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की है ?

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक पेश होने की सम्भावना की जा सकती है ?

(घ) इसी सम्बन्ध में क्या यह बात सही है कि सरकार की आज्ञा एकाउन्टेन्ट जनरल के मुख्य दफ्तर को जोधपुर में रखने की है और यदि यह बात ठीक है तो क्या इस आज्ञा का सम्बन्धित अफसरों द्वारा पालन किया जा रहा है, यदि नहीं तो क्यों ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--यह सही है कि इससे पहले के मंत्रीमंडल ने एक समिति की, इस बात पर विचार करने के लिए नियुक्ति की थी कि भूतपूर्व राजधानियों का महत्व बनाए रखने के लिए क्या २ उपाय हो सकते हैं, विशेष सरकारी कार्यालयों को वहां रखने के द्वारा अथवा अपने वहां के उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने के द्वारा। इस कमेटी ने सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता ।

सरकार ने इस कमेटी की सिफारिश के फलस्वरूप अकाउन्टेंट जनरल के हेडक्वार्टर को जोधपुर में रखने की कोई आज्ञा नहीं दी है । स्थिति यह है कि सन् ४९ में राजस्थान सरकार ने उस समय की व्यवस्था की दृष्टि से ही अकाउन्टेंट जनरल के कार्यालय को जोधपुर में रखने की व्यवस्था की थी । अकाउन्टेंट जनरल ने राज्य की सुविधा की दृष्टि से सरकार को यह बताया था कि वह स्वयं और उनके प्रमुख विभाग जयपुर में ही रहने चाहियें। उसके बाद से अकाउन्टेंट जनरल का कार्यालय राजस्थान सरकार के आधीन नहीं है और वह आडिटर जनरल के आधीन है। इस समय आडिटर जनरल ने भी अकाउन्टेंट जनरल का कार्यालय जयपुर में लाने की इच्छा प्रकट की है लेकिन वह जयपुर में स्थानाभाव से अब तक आ नहीं सका है ऐसी स्थिति में अकाउन्टेंट जनरल द्वारा सरकार की आज्ञा की अवहेलना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--क्या यह बात सही है कि कस्टोडियन का सदर दफ्तर जो कि जोधपुर में है उसको हटाने की भी कोई व्यवस्था की जा रही ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-- कस्टोडियन के बारे में मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है ।

श्री वेदपाल त्यागी:--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कोटा में जो कोओपरेटिव सोसायटी का दफ्तर था उसको हटाने का क्या कारण है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--इसके लिए भी मुझे नोटिस चाहिए ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-- मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि विशाल प्रश्न के अन्दर इन प्रश्नों का उत्तर भी समाविष्ट होता है । ऐसी कोई ये जटिल बातें नहीं हैं जिनके लिए मेरी तुच्छ बुद्धि में अलग नोटिस की आवश्यकता हो सकती है। क्यों कि कोओपरेटिव और कस्टोडियन जसे विभागों के लिए मामूली जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती । इतने बड़े प्रश्न में यह प्रश्न भी आ सकते हैं ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस (प्रशासकीय कार्य) की वजह से नोटिस आवश्यक हो जाता है ।

श्री किशनलाल शाह:--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभागों को जनता की सुविधा की दृष्टि से रखा जाता है या सरकार की खुद की सुविधा की दृष्टि से रखा जाता है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--जनता की सुविधा और सरकार की सुविधा एक ही समझी जानी चाहिए ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--क्या जिस समय इन विभागों को रखा गया था उस समय एडमिनिस्ट्रेशन के तरीकों को ध्यान में नहीं रखा गया था ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--मेरे माननीय मित्र जोधपुर से आते हैं फिर भी उन्हें जोधपुर के बारे में जानकारी नहीं । उन्हें यह मालूम नहीं है कि कस्टोडियन का दफ्तर वहां है या नहीं ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-मुझे मालूम है कि कस्टोडियन के विभाग को जल्दी से जल्दी वहां से हटाये जाने के विषय में सरकार सोच रही है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--अभी तक सरकार ने कोई इरादा नहीं किया है।

श्री जसवंतसिंह:--जो भिन्न २ राजधानियों के उत्थान के सम्बन्ध में कमेटी की नियुक्ति की थी और उसकी रिपोर्ट आ गई है जैसा कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने कहा, तो क्या उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--क्या वह रिपोर्ट इस हाउस की जानकारी के लिए हमें देखने को मिलेगी ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--इस समय तो नहीं हो सकेगा ।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--इस समय से मेरा मतलब अभी नहीं है; कुछ दिनों के बाद ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--हां, हो सकता है ।

श्री वेदपाल त्यागी:--हाई कोर्टों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--हाई कोर्टों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति हो सकती है । उसके कामों में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है ।

श्री वेदपाल त्यागीः--हाई कोर्टों की नीति से मेरा मतलब है जोधपुर से जयपुर लाने और जयपुर से जोधपुर ले जाने के विषय में ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--हाई कोर्ट इस समय जिस जगह हैं वहीं रहेंगे ।

श्री माधोसिंहः--इस सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हो रही है कि जोधपुर से हाई कोर्ट हटाया जा रहा है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--मैं यह बता देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट कोई गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट नहीं हैं ।

श्री हरिदत्तः-- भरतपुर में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्थित है उसको दूसरे स्थान पर ले जाने की कोई स्कीम चल रही है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--इस समय कोई स्कीम नहीं है ।

श्री कानसिंहः--अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर में जो हाई कोर्ट रखी है क्या वह इस समिति की रिपोर्ट के मुताबिक रखी गई है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--वह पहले से यहां पर स्थित है। उस कमेटी को राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंटों (विभागों) के बारे में विचार करना है न कि हाई कोर्टों के मामले में ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः--क्या माननीय मंत्री महोदय इस कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सामने रखेंगे ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--जैसा कि अभी मैंने कहा था इस समय यह विवरण नहीं आ सकेगा । यह विचारणीय है ।

श्री कानसिंहः--अध्यक्ष महोदय, जो इस समिति की रिपोर्ट है वह अब तक पब्लिक के सामने नहीं आई, इसलिए क्या वह कान्फीडेन्शियल (गोपनीय) है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--अभी तक तो कान्फिडेंशियल ही है ।

प्रश्न सं० ४०

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--(क) क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाएंगे कि राजस्थान हिन्दी को इस प्रान्त की राजभाषा घोषित करने के लिए तैयार है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—

(१) अवश्य
(२) प्रश्न नहीं उठता
(३) जल्दी से जल्दी कोशिश की जायगी ।

श्री कपिलदेव:—क्या जल्दी से जल्दी की परिभाषा बतायेंगे ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—जल्दी से जल्दी की कोई परिभाषा नहीं हुआ करती ।

श्री छोटूसिंह:—सरकार ने इस विषय पर कोई ठोस कदम उठाया है जिससे कि वह उसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित कर सके ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:-समिति की नियुक्ति की थी । उस समिति ने अपनी सिफारिशें पेश की हैं उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री छोटूसिंह:—इस जल्दी से जल्दी के अन्दर कोई ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—किसी काम में वक्त तो लगता ही है ।

प्रश्न सं० ४१

श्री इन्द्रनाथ मोदी—(क) क्या माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में यह बात है कि राजस्थान की विभिन्न पुरानी रियासतों के एकीकरण से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं ?

(ख) यदि यह बात सही है तो उनके कष्ट निवारण के लिए सरकार ने उन्हें क्या सुविधाएं दी हैं और जो दी हैं क्या वे पर्याप्त हैं ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—(क) यह कहना कि एकीकरण के फलस्वरूप कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं ठीक नहीं है । एकीकरण के पश्चात् जो वेतन दरें मुकर्रर की गई हैं वे पहले की दरों से ऊंची हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने निर्णय किया है कि साधारणतः कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का तबादला दूसरी जगह नहीं किया जावे । इसके लिए सर्क्युलर निकाला है ।

श्री चांदमल मेहता:—मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी परसों ही एक व्यक्ति को भरतपुर से उदयपुर बदला गया है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—मैंने यह कहा कि साधारणतः नहीं किये जाते ।

एक सस्दय:–जो हो गये हैं उनका क्या ?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जो साधारण वेतन पाने वाले व्यक्ति अलग अलग पुराने राज्यों से एकीकरण के बाद आये हैं उनके निवास के लिये जयपुर नगर में बढ़ी हुई आबादी के कारण बहुत असुविधा है और अगर है तो उसको सुधारने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–हां, सरकार को मालूम है और जहां तक हो सका है सरकार ने उनको निवास स्थान के लिये साधन देने का प्रयत्न किया है और इसके लिये कुछ सरकारी भवनों का निर्माण किया गया और कुछ भवन रिक्विज़िशन (अधि-ग्रहित) किये गये हैं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–एकीकरण के फलस्वरूप पुरानी रियासतों से आये हुए कर्मचारियों को यहां पर नये ग्रेड में फिट करने के लिये क्या किसी कमेटी का आयोजन हुआ है, क्या कोई सिद्धान्त रखे गये हैं, इस कमेटी के सामने और उन पर कोई अमल पूर्ण रूप से हो रहा है ?

मानीनय श्री टीकाराम पालीवाल:–फिक्सेशन का कार्य विभागों में हो रहा है। विभागों के अधिकारी फिक्सेशन कर रहे हैं। इसमें विलम्ब जरूर लगा है। किन्तु यह काम सुचारू ढंग से और सही सिद्धान्तों पर किया जा रहा है।

श्री गोपीलाल यादव:–क्या सरकार उन परिस्थितियों को बतलाने की कृपा करेगी जो "साधारणतः" की तहत में नहीं आती।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–"साधारणतः" के लिये कोई परिभाषा की जरूरत नहीं।

श्री मानसिंह–जब सरकार को यह मालूम है कि एकीकरण की वजह से छोटे कर्मचारियों को काफी असुविधा हुई है, तो सरकार उनके लिये क्या उचित नहीं समझती है कि उनके वेतन के लिये कोई निश्चित दर कायम की जावे। अगर अभी तक नहीं की गई है तो क्या सरकार इस बात को महसूस करेगी कि जो वेतन मिल रहे हैं बहुत कम हैं और उनमें वृद्धि करेगी ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–सरकार ने जो नियुक्तियें की हैं, इन सब बातों को सोच विचार कर की हैं।

श्री मानसिंह:–क्या जो वेतन कर्मचारियों को दिये गये हैं वे गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी की सिफारिशों के अनुसार दिये गये हैं और क्या सरकार यह महसूस करती है कि जो वेतन रेलवे कर्मचारियों को दिये जाते हैं उनके मुकाबले में हमारे यहां के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। क्या सरकार इस पर विचार करने के लिये तैयार है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—रेलवे कर्मचारियों से हमारे यहां के कर्मचारियों को तुलना नहीं की जा सकती। . . . . .

श्री कुम्भाराम चोधरीः—क्या एकाउन्टेन्ट जनरल के विभाग के कर्मचारियों से हमारे यहां के कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—वह विभाग केन्द्रीय सरकार के आधीन है और उसका सम्पर्क केन्द्र से है।

श्री मानसिंहः—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हमारे यहां के ओफिसरों के साथ जो चपरासी रहता है उस चपरासी के और जो चपरासी रेलवे अधिकारी के साथ रहता है, कार्य में क्या अन्तर है जिससे कि उनकी तनख्वाह में इतना अन्तर है ? क्या यह सही है कि रेलवे वालों की स्ट्राइक आदि होने से सरकार घबराती है और यहां पर इन लोगों के लिये कोई स्ट्राइक करने वाला नहीं; और यदि करे तो भी दूसरी भर्ती हो सकती है क्योंकि इनके पीछे कोई मजबूत ओर्गेनाइजेशन (संगठन) नहीं है जैसा कि रेलवे के कर्मचारियों के पीछे है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवालः—Is it a speech or a question. (क्या यह भाषण है या प्रश्न ?)

श्री वेदपाल त्यागीः—What relevancy does it bear to the question ? (प्रस्तुत प्रश्न के साथ इसकी क्या संगति है ?)

श्री जसवन्तसिंहः—थोड़े दिन पहले शिक्षा विभाग के जालोर के एसिस्टेंट मास्टर के मुतल्लिक एक ऐसा हुकम निकला कि वह जालोर में हो या जोधपुर के किसी कोने में हो; उसका फौरन तबादला कर के उसे भेज दिया जावे ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—इस संबन्ध में मेरी जानकारी नहीं है।

श्री गोपीलाल यादवः—क्या सरकार को मालूम है कि भरतपुर में कस्टम डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को कहा गया था कि जोधपुर चले जाओ और जब वे लोग जोधपुर गये तो उन्हें कहा गया कि यहां पर कोई जगह नहीं है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः—मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करूंगा. . . . .

श्री मानसिंहः—क्या यह सच है कि एकाउन्टेन्ट जनरल के दफतर में चपरासी को ७०) रुपये माहवार मिलते हैं और हमारे यहां ४५) रुपये माहवार ही मिलते हैं ?

माननीय अध्यक्ष—नेक्स्ट।

विधेयकों का पुरःस्थापन

माननीय अध्यक्ष:--नाउ बिल्स टू बी इन्ट्रोड्यूस्ड

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५२ का पुरःस्थापन

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--माननीय अध्यक्ष, मैं इस सदन में राजस्थान एप्रोप्रिएशन (४) बिल, १९५२ पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं । इससे पहले, मैं सदन को यह बताना जरूरी समझता हूं कि इस बिल को पेश करने का उद्देश्य इस वक्त में क्या है कल इस साल का सारा बजट इस हाउस ने डिमान्ड बाई डिमान्ड पास कर दिया था । इन डिमान्ड्स को पास करने के बाद संविधान की धारा २०४ और २३८ को साथ साथ पढ़ने से यह मालूम होता है कि ये डिमान्ड्स जो आपने कल पास की हैं, उनके अनुसार सरकार तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक कि इस बिल से उसको खर्च करने की आज्ञा प्राप्त नहीं हो । इसलिये मैं यह बिल सदन के डिसकशन के लिये पेश करने की आज्ञा चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष:--The question is that leave be granted to introduce the Rajasthan Appropriation Bill, 1952; to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1953. (प्रश्न यह है कि ३१ मार्च सन् १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये राज्य की संचित निधि में से निष्कृति को प्राधिकृत करने वाला तथा उसमें से कुछ रकमों का विनियोग करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय)

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा मिली है, अतः मैं इसको सदन के सामने पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान सहकारी समिति विधेयक १९५२ का पुरः स्थापन

माननीय श्री अमृतलाल यादव:--माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान कोओपरेटिव सोसाइटीज बिल, १९५२ सदन के सामने पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं । लेकिन इसके पहले इस पर मैं दो मिनट कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं ।

माननीय श्री अमृतलाल यादव:--अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान माननीय वित्त मंत्रीजी के भाषण के उस अंश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने जनता के उपेक्षित भाग के स्टैन्डर्ड को ऊंचा उठाने की चर्चा की थी । आज के विषम आर्थिक जमाने में हम चाहते हैं कि हमारे यहां के

मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग अर्थात् आर्थिक मान-दंड को हम ऊंचा उठावें और उन्हें कुछ सुविधा दें। इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। इस काम को पूरा करने का एक मात्र जरिया सहकारी आन्दोलन है। लेकिन इस आन्दोलन की प्रगति के लिये राजस्थान के सामने एक बड़ी बाधा है। जब तक राजस्थान में चलने वाले भिन्न २ सहकारी कानून एक न हो जावें तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। इस लिये मैं यह बिल सदन के सामने पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—The question is that leave be granted to introduce the Bill to provide a uniform law for the formation and working of co-operative societies in Rajasthan. (प्रश्न यह है कि राजस्थान की सहकारी समितियों के निर्माण तथा उनके कार्य सम्पादन के लिये एक-रूप विधि की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय)

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अमृतलाल यादव:—मुझे यह बिल सदन के सामने पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्राप्त हुई है अतः राजस्थान कोओपरेटिव सोसाइटीज (सहकारी समितियों) बिल मैं सदन के सामने पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५२ को विचारार्थ लेना।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:—अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी राजस्थान विनियोग विधेयक १९५२ इस सदन के सामने पुरःस्थापित किया था। मैं यह चाहता हूं कि इस बिल को हाउस (सदन) कंसीडर करे और इस बिल में जो बातें पहले अर्ज की थीं और जो बजट हमने पास किया है उस रकम को खर्च करने के लिये स्टेट का जो कन्सोलिडेटेड फंड है उसमें से खर्च करने के लिये सरकार को आज्ञा दें।

माननीय अध्यक्ष:—Motion moved that the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1953..........

श्री मानसिंह:—अध्यक्ष महोदय, हमको अभी तक कौपीज (प्रतिलिपियें) नहीं मिली हैं।

माननीय अध्यक्ष:—ओर्डर, ओर्डर।

The question is that the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1953 be taken for consideration.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री जसवंतसिंह:–मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अभी यह बिल जो माननीय वित्त मंत्री ने सदन के सामने रखा है उस पर मत लिये गये । क्या इसके मायने यह हैं कि बिल पास हो गया ?

माननीय अध्यक्ष:–मैं बताना चाहता हूं कि यह एक फॉरमल चीज है । जो ग्रान्ट्स आपने कल पास की हैं उन ग्रान्ट्स को कंसोलिडेटेड फंड में से खर्च करने की इजाजत लेना एक वैधानिक तरीका है । इसका एक्ट के रूप में आना केवल वैधानिक प्रक्रिया है । इसमें यदि किसी के पास कापी नहीं भी पहुंची है तो कोई ऐसी बात नहीं है । फिर भी सरकूलेट की जा रही हैं । कल साढे बारह बजे हम उठे थे इसके बाद आंकड़ों को तैयार किया गया, फिर इसको साइक्लोस्टाइल किया गया और अब मुश्किल से यह तैयार हो पाया है । यदि इसकी कापी किसी के पास नहीं पहुंची है तो वे पास वाले सज्जन की कापी में देखलें ।

(विराम)

Now we proceed clause by clause.

(विराम)

अभी जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है वह केवल इस बिल को कंसीड्रेशन के लिये सदन के सामने रखने का हुआ है न कि यह बिल पास हो गया है ।

(धाराएं १ से ४ बिल के अंग बने)

(विराम)

(शिड्यूल बिल का अंग बना)

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:–मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल पास किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष:–The question is: "that the Bill be passed"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

विधेयक पारित हुआ ।

श्री जसवन्तसिंह:–अध्यक्षजी, जो गलतफहमी हो गई है उसका निराकरण करना चाहता हूं । जहां तक मुझे इन बातों का थोड़ा बहुत ज्ञान है इस तरह से दुनिया में शायद ही कोई बिरली विधान सभा होगी जहां फाइनेन्स बिल इस तरह से पास हुआ हो ।

माननीय अध्यक्ष:–

It is not a Finance Bill. It is Appropriation Bill. (यह फाइनेन्स बिल नहीं है । एप्रोप्रियेशन बिल है)

श्री जसवन्तसिंह:--क्लॉज बाई क्लॉज (खण्डश:) बहस करने के बाद बिल पास किये जाते हैं। इस तरह से तो विधान सभा के होने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं चाहता हूं कि इस बिल पर बोलने का सदस्यों को अवकाश दिया जाना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव:--डिमाण्ड्स फोर ग्रान्ट्स के बाद जो बातें रह जाती हैं एप्रोप्रियेशन बिल के रूप में सदन के सामने रखी जाती हैं। बाकायदा उस पर बहस की जरूरत है। मैं मेरे मित्र का समर्थन करता हूं। इस बिल पर बहस होने की आवश्यकता थी।

श्री कपिलदेव:--जब बिल पास हो चुका तो उस पर ऐतराज करने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री गोपीलाल यादव:--हां, भूल से कोई चीज हो गई हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।

माननीय श्री नाथूराम मिर्धा:--अध्यक्ष महोदय, जो बातें पेश की जा रही हैं उनमें कोई गुंजाइश नहीं। सदन के सदस्यों ने ठीक नहीं समझा। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक फॉरमेलिटी के तौर पर पेश किया जा रहा है। बजट जब आइटम वार पास हो चुका है तो उस पर वाद विवाद भी हो चुका।

श्री गोपीलाल यादव:--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान सेक्शन नं० १३९ ए. की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है:--

"At any time after the introduction in the Assembly of an Appropriation Bill, the Speaker may allot a day or part of a day or days jointly or severally for the completion of all or any of the stages involved in the passage of the Bill by the Assembly, and when such allotment has been made the Speaker shall at the appointed hour on the allotted day or, as the case may be, the last of the allotted days, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which the day or part of a day or days have been allotted".

श्री जसवन्तसिंह:—मेरे मित्र ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हुआ यह बता देना चाहता हूं कि माननीय वित्तमंत्रीजी ने जो कहा है कि यह फॉरमेलिटी की तौर पर है, इस पर बहस की जरूरत नहीं; इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों का आपत्ति करने का हक है। यदि हमारे हकों पर कुठाराघात किया जाता है तो हम प्रोटेस्ट (रोष प्रकट) करेंगे।

Shri Damodarlal Vyas:—Mr. Speaker, Sir, I want a ruling whether a Bill can be discussed again when it has once been passed. (मैं इस बात पर निर्णय चाहता हूं कि जब विधेयक एक बार पारित कर दिया जाए तो क्या उस पर विचार-विमर्श हो सकता है।)

माननीय अध्यक्ष:—इस बारे में माननीय सदस्य को गलतफहमी हुई है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक सरकार की नीति का सवाल है, वैधानिक परम्परा का सवाल है, इस हाउस में चार विभिन्न स्टेजेज (अवस्थाएं) ऐसी आती हैं जिसमें बजट की आलोचना की जा सकती है। पहले, बजट प्रस्तुत हुआ और उसके ऊपर वाद-विवाद हुआ। उस साधारण वाद-विवाद के पश्चात् वोटिंग ऑफ डिमान्डस् फॉर ग्रान्ट्स की स्टेज दूसरी स्टेज है। ग्रान्ट्स पर कट-मोशन आदि रखकर किसी तरह से हाउस के सदस्यों को उस पर अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है। तीसरी स्थिति आती है फाइनेन्स बिल की। वर्ष के सारे सरकारी व्यय के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए यह फाइनेन्स बिल इन्ट्रोड्यूस किया जाता है। इसके पश्चात् चौथी स्थिति एप्रोप्रियेशन बिल की है। मैं मानता हूं कि इन चारों स्टेजों पर सदन के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है: जो चाहे वादविवाद खड़ा कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या यह वादविवाद उन्हीं तथ्यों को लेकर होता है। वोट होकर केवल सदन के सदस्य उसमें अपनी राय अभिव्यक्त कर सकते हैं। उन पर वोटिंग नहीं होता; केवल फारमेलिटी है। यह एक प्रकार की परम्परा है। इस परम्परा के अन्दर जो बातें प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज और तृतीय स्टेज पर कही जा चुकी हैं वे ही बातें कही जाती हैं: उन्हीं की पुनरावृत्ति मात्र होती है। इस बात में समय का सदुपयोग नहीं होगा। मैं मानता हूं कि हमारा सैशन चूंकि प्रथम सैशन है और उसमें वाद-विवाद के लिए जितना मौका मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका। माननीय सदस्यों का यह ख्याल भी हो सकता है कि एप्रोप्रियेशन बिल पर स्टेज वाइज वाद-विवाद करने का मौका नहीं मिला। किन्तु देखना यह है कि अधिक बहस करने से क्या वास्तविक रूप में ऐसी बातें आती हैं जिनके ऊपर वोट लिए जाने की आवश्यकता हो। मैं समझता हूं, जैसा कि एक माननीय सदस्य और विरोधी दल के नेता ने कहा कि एप्रोप्रियेशन बिल पर स्टेज वाइज वाद-विवाद करने का कायदा है। मैं चाहता हूं कि इस सदन में ऐसी स्वस्थ परम्पराएं कायम रहें। पार्लियामेन्ट, केन्द्र की पार्लियामेन्ट, के अन्दर ऐसी परम्परा है कि एप्रोप्रियेशन बिल पर वाद विवाद नहीं होता और केवल उसको एक औपचारिक ढंग से पास कर लिया जाता है। क्योंकि जो वाद-विवाद होने होते हैं वह बजट की पिछली जो तीन अवस्थाएं आती हैं उन्हीं पर हो जाते हैं और एप्रोप्रियेशन बिल केवल औपचारिक ढंग से पास हो जाता है।

इस चीज को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि एप्रोप्रियेशन बिल पर वाद-विवाद हो और सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाय तो यह तो प्रथम स्टेज, दूसरी स्टेज में ही दिया जा चुका है। अगर सदस्य यही चाहते हैं कि एप्रोप्रियेशन बिल पास करते समय भी वाद-विवाद किया जाय तो आगामी अधिवेशन में जिस तरह आप चाहते हैं वैसा कर लिया जायगा, और इसके लिए सदन की स्वीकृति पहले ले ली जायगी लेकिन अभी यह चौथी स्टेज पर है और पास हो चुका है। इसलिए इस पर कोई वाद-विवाद नहीं किया जा सकता।

श्री जसवन्तसिंह:—अब आपने आदेश जारी कर दिये हैं; किन्तु मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि जो परम्परा स्थापित की गई है वह बहुत बुरी की गई है, साथियों के हकों पर कुठाराघात किया गया है; हमारे लिये यह बड़े दुख की बात है। हमारे हकों पर जो आघात किया गया है उसको हमने सह लिया है, किन्तु जो यह परम्परा रखी है वह बहुत बुरी है। अब चूंकि अध्यक्षजी ने आदेश दे दिया है इसलिए हमें कुछ नहीं कहना है, और जो कुठाराघात किया गया है वह हम चुपचाप सहन कर लेंगे।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, आपने जो अभी फरमाया वह मैं समझता हूं कि दूसरे हाउसों में भी ऐसी ही परम्पराएं हैं। बिना किसी वाद-विवाद के यह एप्रोप्रियेशन बिल पास कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं यह देखता हूं कि यदि विरोधी दल उसको स्टेज वाइज कराना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं दिखती। इसको उस ढंग से भी किया जा सकता है।

श्री कानसिंह:—अध्यक्ष महोदय, क्या चीफ मिनिस्टर को अध्यक्ष की रूलिंग पर आपत्ति करने का हक है।

माननीय अध्यक्ष:—मैं इस वाद-विवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन एक बात जो विरोधी पक्ष के नेता ने कही है, मैं यह साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि जब इसे क्लॉज बाई क्लॉज रखा गया था तो उनसे यह पूछ लिया गया था कि वे इसमें कुछ वाद-विवाद चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर वे उस समय यह चीज रखते तो मैं अस्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन उस वक्त तो वह खड़े नहीं हुए। इस हाउस के सामने एप्रोप्रियेशन बिल रखे जाने के बाद में और पास हो जाने के बाद में इस बात के लिए जो आपत्ति उठाई है जो उचित नहीं है।

राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक (संशोधन) विधेयक, १९५२

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—I beg to move that the Bill to amend the Rajasthan Produce Rents Regulating Act, 1951 be taken in to consideration. (मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक अधिनियम, १९५१ को संशोधित करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष:—The question before the House is:—

That the Bill to amend the Rajasthan Produce Rents Regulating Act, 1951, be taken into consideration.
(सदन के सम्मुख प्रश्न यह उपस्थित है कि राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक अधिनियम, १९५१ को संशोधित करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाए)

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अवनिकुमार:—मैं हाउस के सामने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—Please move the motion in a proper form.

श्री अवनिकुमार:- I have already given it.

माननीय अध्यक्ष:--That is not in proper form.

श्री अवनिकुमार:-That is.

माननीय अध्यक्ष:--Have you any right to refer the Bill to select committee when it has been taken into consideration ?

श्री अवनिकुमार:--Yes.

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष मैं श्रीमान् का ध्यान सेक्शन ८४ की तरफ दिलाना चाहता हूं।

According to Section 84, the principle of the Bill and its general provisions may be discussed but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain its principles. At this stage no amendments to the Bill may be moved but if the member-in-charge moves that his Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a select committee.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय अध्यक्ष, अब तो वह स्टेज भी पास हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष:—(श्री गोपीलाल यादव को संबोधित करते हुए) are you clear in this ruling or I may read this Section ? Section 82 is very clear. Is it not that the Stage has passed ?

श्री गोपीलाल यादव:—I accept that the stage has passed.

श्री राजा मानसिंह:- Mr. Speaker, Sir, is it possible for us to get copies of the Rajasthan Produce Rents Regulating Act to which this amendment refers ?

Shri Inder Nath Modi. - I should like to submit that we received information about the agenda circulated to us last night at about 8 P. M. and it was humanly impossible to prepare ourselves for the next day's discussion. If we are not given proper facilities for discussing such important item, I submit, Sir, that a certain amount of relaxation of rules be permitted to us.

Hon'ble Speaker.—The Bill was introduced I think a week or some days ago and it was expected that the Bill would come up for consideration. I do not know what the difficulty is.

Shri Inder Nath Modi.—Certain amount of minimum notice should be considered necessary. I submit that at least 48 hours notice should be considered minimum for the members of the Assembly, if you approve.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:- जहां तक इसका संबन्ध है, यह बिल एक सप्ताह पहले इन्ट्रोड्यूस हुआ था और जहां तक इस पर विचार करने का प्रश्न है इस पर काफी समय मिला है ।

Hon'ble Speaker. - Can you point out any rule as regards the receipt of notice of the Agenda at a particular time.

Shri Inder Nath Modi.—In the absence of any rule, rules of justice may be followed.

Shri Kapil Deo.—I feel that in so many parts of Rajasthan there is a great dispute between the Jagirdars and the tenants and so I request that it must be taken to-day.

Shri Inder Nath Modi. There is no discussion on my side whatsoever as to the principles of the Bill. My Hon'ble friend seems to be frightened so far as the principle of the Bill is concerned. It is again submitted for consideration that all such important measures should be given due time. I think there can be no two opinions on such elementary matters.

माननीय अध्यक्ष:- मैं समझता हूं कि इस बिल पर काफी संशोधन आ चुके हैं और माननीय सदस्यों को जो तैयारी करनी थी कर चुके हैं । अब इसको क्लाज बाई क्लॉज लिया जाता है ।

श्री गोपीलाल यादव:- माननीय अध्यक्ष, क्लॉज वाई क्लॉज लेने से पहले इस बिल के प्रिन्सिपल्स पर डिसकसन होने की आवश्यकता थी।

माननीय अध्यक्ष:--आप कहिये।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है इस वक्त जो बांटा किसानों पर रखा हुआ है वह ज्यादा है और उसमें कमी की जावे इसपर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो एक बात इसके ओबजेक्ट्स में कही गई है उस पर मुझे एतराज है। इसमें यह बतलाया गया है कि पैदावार का छठा हिस्सा बांटा का ले लिया जावे। एक चौथाई ज्यादा है इसलिये १।६ हिस्सा लिया जावे माननीय अध्यक्ष, मैं यह नहीं मानता कि यह ओबजेक्ट ठीक है कि १/६ हिस्सा लिया जावे। जहां तक १/६ हिस्सा लिये जाने का मतलब मैं समझ सका हूं शायद यह किसान की ग्रोस प्रोडक्ट के १/६ हिस्से से है। क्या किसान की ग्रोस प्रोडक्ट का १/६ हिस्सा लिया जाना वाजिब है? जब किसान अपने खेत में जाकर अपना खेत जोतता है, उससे पहले उसको कितनी मजदूरी करनी पड़ती है। वह अपने खेत को पहले साफ करता है; जोतता है, बीज बोता है इस प्रकार करीब करीब उसकी पैदावार का ५/६ हिस्सा तो उसी में खत्म हो जाता है और उसमें उसके घरवालों की मेहनत भी होती है। इस प्रकार उसके पास १/६ बाकी रह जाता है। इसलिए जो १/६ लिया जाने का प्रश्न है वह उसकी नेट में से होना चाहिए। इसलिये मैं तो यह बतलाना चाहता हूं, कि किसान के घर वालों की मजदूरी आदि लगाने के बाद व दूसरी लागत जो उसकी लगी हो उसको लगाने के बाद जो बचे उसका १/६ जो ग्रोस प्रोडक्ट का १।३६ से ज्यदा नहीं होगा, उससे अधिक नहीं लिया जाना चाहिये। यदि इससे ज्यादा लिया गया तो किसानों पर ज्यादा बोझा होगा। इसके अलावा मैं इस सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहता हूं कि सरकार ने खालसे की जमीन पर जो लगान रखा है कहीं एक बीघे पर आठ आना, कहीं बारह आना, कहीं रुपया जो राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए बहुत ज्यादा है। बाहर दूसरी जगह कहीं भी एक बीघे पर चार आने से लगाकर बारह आने से ज्यादा लगान नहीं है और वहां इसी हिसाब से लगाया गया है। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जो लगान १/६ लगाया जा रहा है वह मजदूरी आदि जो वह खेत में करता है, उसको बाद दे कर लेना चाहिये।

श्री माधोसिंह:—माननीय अध्यक्ष, इस बिल का जो सिद्धान्त है उसके लिये तो इस हाउस के अन्दर शायद ही किसी महानुभाव की दो राय होंगी लेकिन इस बिल को रखे जाने का जो समय लिया गया है और आज जो इस बिल को (प्रोड्यूस प्रस्तुत) किया गया है वह जो समय होना चाहिये था उसके काफी समय बीतने के बाद माननीय मंत्री ने इस बिल को हाउस के सामने पेश किया है। जब कि राजस्थान के अन्दर कई जगह लटाई करदी गई है और कई जगह हो रही है उन काश्तकारों को रियायत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल सकती। जब कि राजस्थान सरकार ने ऐसा ऐलान किया था उसके कुछ दिन बाद ही सरकार १/६ हिस्सा लेने का ऐलान करती है तो काश्तकारों को सुविधा मिल सकती थी। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता

है कि इस बारे में इस समय, इस जंक्चर (कठिन परिस्थिति) पर यह बिल हाउस के सामने पेश किया गया है जब कि राजस्थान में आधी लटाई हो चुकी है और बाकी हो रही है। इससे राजस्थान में किसानों और जमीनदारों के बीच में तनातनी पैदा होने की संभावना है। अब यह सवाल रह जाता है कि तनातनी कैसे पैदा हो सकती है या भेदभाव कैसे हो जाता है उसके बारे में मैं इस सदन के सामने स्पष्टीकरण करूंगा। राजस्थान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें लटाई सिस्टम (प्रथा) है और एक गांव में ५० प्रतिशत लटाई हो चुकी है।

श्री सम्पतराम:—On a point of order, Sir.

He is not speaking on the point. I want a ruling from the Speaker whether he is to the point.

माननीय अध्यक्ष:--ओनरेबल मेम्बर विल कन्फाइन हिमसेल्फ टू दी प्रिन्सिपल ओफ दी बिल (माननीय सदस्य अपने आपको बिल के सिद्धान्तों तक सीमित रखें)

श्री माधोसिंह:—मैं इस बिल के प्रिन्सिपल्स (सिद्धान्तों) को मद्दे नजर रखकर ही कहना चाहता हूं। इस बिल का प्रिन्सिपल अच्छा है। लेकिन जिस समय में यह लाया गया है उसको देखते हुए कुछ उलझन पैदा हो जाती है इसके कारण आपस में भेदभाव आने का अंदेशा है। यह बात मैंने आपके सामने पहले निवेदन की थी। अभी विरोधी दल के एक नेता ने इसके बारे में जो फरमाया था मैं भी उनसे सहमत हूं। काश्तकारों से १६ लेने पर भी उनके पास अन्य खर्चों के कारण कुछ नहीं बचता। यह वाजिब मालूम होता है कि तमाम मारवाड़ और राजस्थान के किसानों को एक साथ रिआयत मिले। लेकिन कई जगह लटाई हो जाने के कारण उन स्थानों के किसानों को जहां लटाई हो चुकी है इससे अभी कोई फायदा नहीं होगा। एक दूसरी बात जो इस बिल में रह गई है वह यह है कि किसानों के नीचे जो सब-टिनेन्ट्स (उप-कृषक) हैं उनके लिये इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। किसानों से सरकारी रेकार्ड के अनुसार लेने में भी सहूलियत हो जायगी लेकिन ऐसे सब-टिनेन्ट्स से तो मन माने ढंग से लिया जायगा। इससे उनको इस बिल के पास हो जाने पर भी कोई रिआयत नहीं मिल सकेगी। उनके लिये इस बिल में कतई जिक्र नहीं होने से यह बिल पूर्ण रूप से कामयाब नहीं होगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि अच्छा होता यदि पहले इसके बारे में भी सोच लिया जाता और फिर पूर्ण रूप से बिल हमारे सामने आता।

श्री रूपनारायण शास्त्री:--अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य महोदयों, जो बिल इस सदन के सामने विचारार्थ है उस पर दो पूर्व वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। मैं भी इस के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। बात यह है कि हमें सेटलमेन्ट के लिये। ....

(शोरगुल)

माननीय अध्यक्ष:--ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रूपनारायण:-(भाषण जारी रखते हुए) सदन का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि सेटलमेन्ट जल्दी से जल्दी हो जायगा तो राजस्थान सरकार को सहूलियत होगी। इस समय कई हिस्सों में लटाई हो चुकी है। इसलिये जहां लटाई हो चुकी है वहां के किसानों को इससे राहत इस साल नहीं मिल सकती। इस साल फसल अच्छी हुई है। किसानों को जितनी भी सुविधायें दी जा सकें उतनी दी जानी चाहिये। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन किसान और जागीरदार आपस में लड़ें इस नीति से यदि कोई बिल पेश किया जाता है तो यह उचित नहीं है। क्योंकि आपस में भेदभाव उत्पन्न करना किसी तरह की जागृति का उचित प्रमाण नहीं है। इस प्रकार की नीति से किसानों को राहत मिलेगी यह कैसे माना जाय ? इस समय कहीं पर कूत हो चुकी है और कहीं पर लटाई हो चुकी है। यदि सरकार पहले से प्रबन्ध करती तो ठीक हो सकता था। अब तो फसल समाप्त होने वाली है और कई जगह पर सेटलमेन्ट भी समाप्त होने वाला है। ऐसी सूरत में इस बिल को यहां इस समय लाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जब सेटलमेन्ट हो जायगा तो सारी तकलीफें हल हो जायेंगी। इस समय इस बिल के मुताबिक लेंगे तो जागीरी हिस्सों में आप किसानों से १/६ लेंगे और खालसा में यदि १० रु० बीघा के हिसाब से लगान लेते हैं और एक बीघा में १० मन अनाज होता है तो इससे जागीरी क्षेत्रों में चौथा हिस्सा लेने के बजाय छठा हिस्सा लेने पर भी जागीरी क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्रों के लगान में अन्तर पड़ता है। सब जगह सेटलमेन्ट हो जाता है तो अन्तर नहीं रहता। राजस्थान में किसानों को छूट देनी चाहिये। यदि यह आदर्श है तो इसमें जागीरदारों को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने बहुत कुछ सेटलमेन्ट कर दिया है। उसके अलावा २० वर्षों की जमाबन्दियों को देखकर सहूलियत का काम करना होगा। इसके बाद जागीरदारों को ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री बलवीर:-अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह तो बतला दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियत होगी। लेकिन ऐसा होते हुए भी जहां पर सिंचाई कूओं से की जाती है वहां पहले भी कहीं उपज का सातवां हिस्सा लिया जाता था कहीं आठवां। लेकिन जब राजस्थान में चौथा हिस्सा लिया जाने का ओर्डर निकाला गया तो इसके बाद किसानों और जागीरदारों में खलबली मच गई। जिन कूओं से सिंचाई होती है वहां पर खर्चा ज्यादा लगता है और जहां वर्षा से सीधी खेती होती है वहां खर्चा बहुत कम लगता है। इसलिये जहां कूओं से सिंचाई होती है कम हिस्सा लेना चाहिये और जहां सिंचाई नहीं होती और वर्षा का पानी ही काम आता है वहां सिंचाई का खर्चा किसानों को नहीं लगता इसलिये उनसे ज्यादा लिया जा सकता है।

कुछ मित्रों ने इस बात के सम्बन्ध में आपत्तियां उठायी हैं। और यह फरमाया है कि इस बिल से जागीरदारों और काश्तकारों के बीच व्यर्थ ही झगड़े बढ़ जायेंगे क्योंकि लटाई का समय चल रहा है, कई जगह लटाई हो चुकी है, कई जगह होने जारही है। मेरे माननीय मित्रों को अध्यक्ष महोदय के जरिये निवेदन करूंगा कि वे इस तथ्य को भूल गये हैं कि आज जब वास्तव

में अकाल है तब भी कई जागीरदार महोदय कई स्थानों पर डंठल कटवाकर अपने मवेशियों को ठीक तरह से पाल नहीं सकते। इसके अमेन्डमेंट (संशोधन) में एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) में साफ लिख दिया है कि अनाज के अलावा भूसा ग्रोस प्रोड्यूस (पूर्ण आय) में शामिल नहीं समझा जायगा। मेरी यह आपत्ति कहां तक तथ्य पूर्ण है इस पर माननीय सदस्य विचार करेंगे।

मैं तो यह मानता हूं कि मनु के सिद्धान्त के अनुसार १/६ हिस्सा होना चाहिये। १/४ जो लिया जा रहा है मौजूदा परिस्थति के अनुसार पूर्ण नहीं। फिर मैं नहीं समझता इस अमेन्डमेन्ट (संशोधन) को एप्रूव (अनुमोदित) करने में क्या आपत्ति हो सकती है। इसे पहले ही रख दिया जाना चाहिये। अब तक क्यों नहीं रखा गया? इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जागीरदारी एबोलिशन एक्ट के संबन्ध में भी यही कहा गया था कि जब कि विधान सभा होने वाली थी फिर इसे जल्दी से जल्दी पास क्यों कर दिया। मैं सोचता हूं यदि इसी प्रकार इस एक्ट को भी पास कर दिया जाता तो शायद उसी प्रकार की आपत्ति माननीय सदस्यों द्वारा उठायी जाती।

श्री रूपनारायण शास्त्री:--(बोलने के लिए खड़े हुए)

माननीय अध्यक्ष:--नो प्लीज (कृपया नहीं)

श्री लालसिंह शक्तावत:--अध्यक्ष महोदय, बिल के प्रिन्सिपल पर, सिद्धान्त पर विचार हो रहा है। बिल के ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स (उद्देश्यों तथा कारणों) में बताया गया है कि अजमेर मेरवाड़ा जो पडौस रियासत है, उसमें जो तरीका बरता गया है उस सिद्धान्त को लेकर हम इस बात को कर रहे हैं। अजमेर मेरवाड़ा में जो बन्दोबस्त हुआ है वह मैंने ही किया है। बन्दोबस्त के अन्दर बाटा और पैदावार इस बारे में काश्तकारों की जो हालत है उस पर बड़ा ध्यान पूर्वक विचार किया जाता है। अजमेर मेरवाड़ा के अन्दर जो बाटे का तरीका था उसकी औसत निकाली गई। इस सम्बन्ध में अजमेर मेरवाड़ा को दो हिस्सों में बांट सकते हैं एक इस्तमुरारदार और दूसरे सरकारी खालसा एरिया। खालसा में जो जमीदार है उसकी पोजीशन यहां के जागीरदार के सामन समझी गयी। उनके बांटे का अनुमान औसत १/३ बांटे को लेकर हमने रेन्ट कायम की। रेन्ट और रेवेन्यू इन दोनों शब्दों के बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं। इस बात को समझने के लिए इन शब्दों पर खास तौर से ध्यान देना होगा। रेन्ट वह चीज है जो काश्तकार जमीदार को देता है और जमीदार गवर्नमेंट को जो देता है वह रेवन्यू कहलाता है। यह अंग्रेजी तरीका हमारे देश में आया पंजाब, सी. पी. आदि जो गवर्नमेन्ट का इलाका रहे हैं उनके अन्दर यह चालू है। हमारे यहां पर पुराना कानून चल रहा है। अजमेर मेरवाड़ा में अंग्रेजी राज था यू.पी. के तरीके पर वहां पर जमीदारी कायम कर दी गई। अब वहां पर १/३ रेंट कायम की। उस रेन्ट पर ४० प्रतिशत रेवेन्यू कायम किया गया तो काश्तकार से जमींदार को तिगुना बांटा लगता है और उस तिहाई बाटे में से ४० प्रतिशत सरकार ले लेगी। अब यह बात आप ध्यान में रखते हुए हमें इस तरफ आना

है। जो रेन्ट में घाटा रहा है वह घाटा बाटे में ले सकते हैं। यह इस्तमुरार द्वारा किया है। सरकार की ऐसी तजवीज होगी ही कि एक ही बांटा किया जाय। आपको विचार करना है कि आयन्दा किस प्रकार की उलझनें हो सकती है। इसमें भी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाय। हमारे जयपुर में अलग अलग रियासतें थी। वहां पर बन्दोबस्त किया गया, रेन्ट मुकर्रर किया गया। उसके अन्दर १।४ बांटा रेन्ट का मानकर लगान [माना] गया। बारानी जमाने में इसमें १।३ बांधा गया। पहले के बांटे के बारे में एक चीज होगी। हमें बांटे को करने में असूलन एतराज मालूम होता है। सभी तरह की जमीन के लिए और इस बड़े राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के लिए एक ही दर कायम की जारही है। जहां पर मसलन एक कुआ है, वहां पर कोटलिया चड़स से पानी निकाला जाता है, बहुत गहरा कुआ है। उसमें से काश्तकार कुछ पानी पिलाता है और कुछ सूख जाता है। उस काश्तकार को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है; जंगली जानवरों का खतरा है। आप देखेंगे डिमान्ड और सप्लाई के अनुसार वहां जमीन की मांग कम होने से जैसी जरूरियात होती थी उसी तरह राज बांटा ले रहा था।

अब आप तालाब के पास की जमीन को ले लीजिये, जिसके अन्दर कुआ भी होता है, जिसके अन्दर आप देखते हैं कि चारों तरफ से घास और बाहर की चीजें आकर जमा हो जाती है और नई तरी के कारण उसमें बहुत अच्छी फसल हो जाती है। उसमें काश्तकार को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहां आपको आधा बांटा, तीसरा बांटा मिलेगा तो आपको इस बात पर गौर से विचार करना चाहिए। एक आई. सी. एस. महोदय जिक्र कर रहे थे कि हमें आई. सी. एस. की ट्रेनिग में एक बात कही जाती है कि माली कानूनों के अन्दर जहां तक हो कोई दखलन्दाजी नहीं की जाय क्योंकि इसमें हजारों, लाखों आदमियों पर एक साथ असर पड़ता है कि जो लोग अपनी आवाज शहरियों के खिलाफ नहीं उठा सकते। इसका क्या असर पड़ेगा, उसका अन्दाजा अखबार पढ़कर या किताबें पढ़कर नहीं कर सकते। जो चीज रोजमर्रा के अभ्यास में आती है और जिनकी आदत है वही जान सकते हैं। उनके एक कदम भी जोर से नहीं चल सकते। आप देहातों में जाकर ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर लोगों में कानूनी कार्यों के प्रति भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है लेकिन उसकी असलियत को समझाने की जितनी तकलीफ करनी चाहिए वह नहीं की जा रही है। तो जल्दबाज़ी में अच्छाई करने में भी बुराई हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि वह हमारा मामला उदयपुर-जैसलमेर तक पहुंच गया है। बीकानेर के सेटलमेन्ट आफिसर की रिपोर्ट को आप देखें तो मालूम होगा कि जैसलमेर में कुल तीन बीघा जमीन इस तरह मिली है और इसलिये उसने लिख दिया है कि वहां तकाबी नहीं दी जा सकती। इधर आप देखेंगे कि उदयपुर में, कुम्भलगढ के पास १४, १५ रुपया हासिल का बन्धा हुआ है। वहां के छोटे २ टुकड़ों की हालत यह है कि छोटे से छोटे टुकड़ों से ७-७ मन अनाज की पैदावार होती है। यह जो रिपोर्ट है इसमें भिन्न २ तरह के जिले सम्मिलित हो गये हैं।

मैं भी सेटलमेन्ट का आफिसर रहा हूं और मुझे जागीरदारों और इस तरह की रियासतों के अमलों से बहस करनी पड़ती रही है और मैं तो रियासतों के लिये विचार करता रहा हूं, और इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों को मालूम होगा कि मुझे भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव में लिया गया । मेरा कहने का मतलब यह था कि मुझे इस विषय की जानकारी है और इस जानकारी के नाते ही मैंने यह आवश्यक समझा कि आपको प्रस्ताव करूं कि जो बात हम रेवेन्यु के बारे में जितनी आसान समझते हैं, और एकदम चला लेते हैं वह उतनी आसान नहीं है । इसका कहां २ कैसा २ असर पड़ेगा यह विचारणीय बात है । हमें यह सब चीजें देखने की है, हमें इन चीजों को देखना है कि एक जगह २५ मन बीज एक साथ डाल दिया और उससे ही पैदावार हो जाती है और काश्तकार को कुछ नहीं करना पड़ता । इसको यदि जागीरदार भी कराता है तो वहां हमें यह देना उचित नहीं होगा । एक जैसलमेर की स्थिति है कि वहां पर कोई काश्त करने वाला मिलता ही नहीं है । वहां पर सातवें आठवें बांटे पर खुदकाश्त कराने को तैयार है पर कोई तैयार नहीं होता ।

श्री कानसिंहः— आन दी पोइंट आफ इन्फोरमेशन । वहां पर ११ वें हिस्से पर भी नहीं मिलता है ।

श्री लालसिंह शक्तावतः—हां तो इनका कहने का मतलब ठीक है कि वहां ११ वां हिस्सा देने पर भी काश्त करने वाला नहीं मिलता । यह मेरी बात की पुष्टि करते हुए ही कह रहे थे । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह बात ठीक नहीं कि बाजार में बिकने वाली चीजों के आप एक ही भाव निकाल दें । अगर आप यह निकाल दें कि एक किस्म की चीज है तो उसको एक ही भाव बेचा जाय । गेहूं हैं तो यदि सभी एक ही भाव से बिकेंगे, या गुड़ है तो सभी तरह का गुड़ यदि एक ही भाव से बिकेगा तो लोग यही समझेंगे कि आप बिना विचार के ऐसा हुक्म दे रहे हैं । इसी तरह से जो स्थिति मैंने आपके सामने रखी है उसके सम्बन्ध में आपको सोचने की जरूरत है । इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठानी चाहिए । आपने देखा होगा कि २५ केन्द्रीय सरकार के कानून एकदम आपने अपने यहां पर लागू कर दिए लेकिन रेवेन्यु एक्ट को बनाते २ आपको कितना अर्सा लग गया । फार्मर (पूर्व) राजस्थान ने इस पर विचार किया और अब भी यह विचार चल ही रहा है । इस बात को आप सबों ने स्वीकार किया है और इसीलिए अब तक लैंड रेवेन्यु एक्ट को आप मुल्तबी करते जा रहे हैं । तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपको इस बारे में अभी बहुत कुछ विचार करना चाहिए । अगर ये चीजें पूरे विचार के बाद सामने लायी जावें तो अच्छा होगा । हमें भविष्य में भी बहुत ज्यादा बातें हल करनी होंगी, लैंड रेवेन्यू के सम्बन्ध में । बस मुझे तो इतना ही कहना है ।

श्री हरिदत्तः—माननीय अध्यक्ष, दरअसल विचारणीय प्रश्न हमारे सामने यह था कि राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट्स रेग्यूलेटिंग (एमेन्डमेन्ट) बिल, १९५१, जो टेम्प्रेरी (अस्थायी) तौर पर एक साल के लिये लागू हो चुका था उसको एक

साल के लिये और बढ़ा दिया जावे। हमारे सामने एक प्रश्न तो यह है कि आया उसको एक साल के लिये और बढ़ाया जावे या नहीं। इसके साथ २ हमारे माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने एक एमेन्डमेन्ट (संशोधन) भी पेश कर दिया है और वह यह है कि इसकी अवधि बढ़ाने के पूर्व बाटा लेने का १।४ के बजाय १।५ या १।६ हिस्सा कर दिया जावे। इसके समर्थन में आपने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इसको पढ़ने से यह मालूम होता है कि इसको एक साल के लिये बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि आपने साफ लिखा है:—

"The attention is drawn to the last para of the Amendment Bill that if a tenant grows any such crop as is referred to in sub-section (3) or any other crop in which any such crop as is referred to in sub-section (3) preponderates, over an area exceeding one fourth of the irrigable area of his holding he shall be liable to pay in respect of such excess area, rent at double the customary rate."

अब जिन बातों पर अभी विचार हो रहा है वे यह हैं कि किस हद तक रेन्ट रखा जावे। आया वह १।६ रखा जावे या १।५ या १।८ या १।१२ रखा जावे? क्योंकि वह १।१२ तक लिया जाता है। इसलिये यह सदन के सामने सवाल है कि इसकी मयाद एक साल बढ़ाई जावे। इसके बाद दूसरा सवाल है एमेन्डमेन्ट का कि १।४ लगान से १।६ किसानों के हित के लिये लिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बिल को तो क्लाज बाई क्लाज ही लेना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब यह क्लाज बाइ क्लाज लिया जायगा तभी जो महानुभाव इस पर बोलना चाहें बोल सकेंगे।

श्री कपिलदेवः—माननीय अध्यक्ष, यह बिल जो राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट्स रेगलेटिंग एक्ट १९५१ के सम्बन्ध में हाउस के सामने उपस्थित किया गया है उस पर कई माननीय सदस्यों ने तरह तरह से अपने विचार प्रकट किये हैं। एक माननीय सदस्य ने यह बतलाया कि लाखों आदमियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई फसल का सवाल पैदा नहीं करता। यह तो सिर्फ काश्तकारों को क्या लगान देना चाहिये, जब तक चक-बन्दी न हो जाए, इस बात का विवेचन करने के लिये सरकार की तरफ से हाउस के सामने रखा गया है।

अब सवाल यह उठाया जाता है कि किसी जगह काश्तकारों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और किसी जगह बहुत कम। फिर सभी जगह पर एकसा बांटा क्यों लगाया जाता है? मगर मैं यह अर्ज करूंगा कि जो लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते उनको क्या मिलना चाहिये। खास सवाल तो यह है। अब तक ये लोग १।२, १।३ और कहीं कहीं पर १।४ लेते रहे हैं और काश्तकार भी उन्हें देते रहे हैं क्योंकि काश्तकार उनसे दब रहे हैं। सरकार की तरफ से काश्तकारों के हित के लिये सेटलमेंट ओपरेशन जल्दी कराया जाने के आश्वासन दिये गये और सरकार कई वायदे करती रही मगर चक-बन्दी नहीं होने पाई। अब सरकार ने यह देखा कि इस कार्य में कुछ समय लगने की संभावना है तो

सरकार ने यह इन्टेरिम एरेन्जमेंट (मध्यकालिक प्रबन्ध) किया है; जिससे कि काश्तकार को अपनी मेहनत का पूरा फल मिले और जो लगान काश्तकारों से १।२, १।३ या १।५ जागीरदार और दूसरे लेन्डलोर्ड ले लिया करते हैं अब न ले सकें। और इसीलिये सरकार ने १।४ बांटा तय किया और सरकार को यह मालूम हुआ कि १।४ बांटा किसानों के लिये ज्यादा है तो सरकार ने, जिस प्रकार धान आदि पर कन्ट्रोल किया जाता है, उसी प्रकार इस पर भी कंट्रोल कायम किया कि १।४ से १।६ से ज्यादा बांटा नहीं लिया जा सकता। अगर मेरे लायक दोस्त उचित समझें तो कम ले सकते है और जिसको लेने का उन्हें पूर्ण रूप से अधिकार है।

एक सदस्य ने यह फरमाया कि नेट प्रोड्यूस (मूल उत्पादन) पर १।६ बांटा दिलाया जावे। मैं यह कहूंगा कि उसकी मेहनत का तकमीना न हो सकने के कारण कि उसकी मेहनत मजदूरी कितनी शुमार की जावेगी, टंटा ही रहेगा। काश्तकार के जितने घर वाले होते हैं वे सब सारे के सारे दिन भर खेत में काम करते रहते हैं। इसलिए यह तय नहीं हो पावेगा। जागीरदार कहेगा कि इतना नहीं और किसान कहेगा कि इतने होते हैं। इसलिये इसके बजाय काश्तकार को राहत पहुंचाने के लिये और जागीरदार और काश्तकारों में झगड़े को कम करने के लिये यह सब से अच्छा तरीका है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) दिया गया है उससे साफ जाहिर है कि खाखला, घास फूस आदि ग्रोस प्रोड्यूस में शुमार नहीं किये जावेंगे। और इससे उनका मतलब हल हो जाता है।

एक महानुभाव ने यह कहा कि इससे सब को राहत नहीं मिल सकती। मैं यह कहूंगा कि मेरे ख्याल से उन्होंने ओरिजनल एक्ट (मूल अधिनियम) को देखने का कष्ट नहीं किया है। ओरिजनल एक्ट में लेन्ड होल्डर्स (भूधारकों) को डेफिनिशन (परिभाषा) में यह बताया हुआ है कि अगर कोई टीनेन्ट (कृषक) का सब-टीनेन्ट (उप-कृषक) है और हासल देता है तो उसकी पोजिशन (स्थिति) लैंड लोर्ड (भूस्वामी) कीसी हो जाती है। वह लेन्ड होल्डर टीनेन्ट नहीं कहा जाता बल्कि सब-टीनेन्ट (उप-कृषक) को प्रोटेक्शन (सुरक्षा) देता है।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अब काश्त का समय खत्म हो गया है। अब यह किस पर लागू किया जावेगा, अच्छा हो कि दो तीन महीनें की अवधि और बढ़ा दी जाए मगर मैं यह कहूंगा कि जो काश्तकार बांटा देते हैं उनकी कोई बात नहीं है। यह तो इस बात को तय करता है कि बांटा १।५ या १।६ कर दिया जावे। यह तो एक अर्थमेटिकल केल्कूलेशन है। सिर्फ बांटे की दर निश्चित करना है।

एक सदस्य ने फरमाया कि जो बातें पुराने जमाने से चली आ रही हैं उनको एक दम बन्द नहीं करना चाहिये। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष, कि जो बातें सैकडों सालों से चली आ रही हैं उनको बन्द करने का वक्त आ गया है। मैं यह भी कहूंगा कि संसार की प्रगति न तो यह हाउस रोक सकता है और न कोई दूसरा ही। यदि सैकडों सालों से किसी बोझ से

दबे थे तो क्या आज भी वे उसी बोझ से दब रहें ? क्या यह जरूरी है ? आज तो उन लोगों को अपने वे साधन भूलने पड़ेंगे जो पुराने जमाने में थे (हर्ष ध्वनि) अब तो सवाल है कि आप वक्त के अनुसार चलें और १।६ बांटे का जो इन्टेरिम ऐजेन्डा है साथ का साथ लें ।

इसके अलावा एक सदस्य महोदय ने यह भी फरमाया कि इसको ४ महिने के लिये आगे बढ़ा दिया जावे। में यह अर्ज करूंगा कि यह बिल इसी सूरत में पास होना चाहिये । मैं इसके अलावा यह भी सरकार से निवेदन करूंगा कि १।६ बांटे को कायम करने से ही काम नहीं चलेगा, इस पर पूरी तौर से अमल करने की जरूरत है। क्योंकि जब यह एक्ट बना था उस समय भी कई जगह जागीरदारों ने इस पर अमल नहीं किया और हमें अर्जियें और डेप्यूटेशन भेजने पड़े। में तो यह कहूंगा कि केवल कानून पास कर देने से ही किसानों को सहूलिहतें नहीं मिल सकती है। सरकार को यह चाहिये कि जो कानून बनावे उनको पूरी ताकत के साथ एक्जीक्यूट करे । जब सरकार १।६ बांटा मुकर्रर कर देती है तो सरकार को चाहिए कि वह देखे, वाकई काश्तकार से १।६ बांटा लिया जाता है या नहीं । केवल कानून बनाने से क्या फायदा हो सकता है। इसलिये में यह प्रार्थना करूंगा कि सबसे बड़ा ध्यान सरकार का यह रहना चाहिये कि १।६ बांटा काश्तकार दे सकें। मुझे उम्मेद है कि सरकार इस पर कार्य करेगी ।

श्री ईश्वरीसिंह:—माननीय अध्यक्ष, दो तीन दिन से इस संबन्ध में कुछ बोलने की इच्छा हो रही थी। मगर कहने का समय नहीं मिला । आज मुझे समय मिला है । जो बातें कही गई हैं कि किसानों के फायदे के लिये बांटा लगाया गया है, ठीक है । मैं यह कहना चाहता हूं कि खेतों में रहने वाले किसान घास फूस के मकानों में रहते हैं और यहां शहरों में रहने वाले माली आदि हैं वे जिस प्रकार के मकानों में रहते हैं आप से छुपे नहीं हैं । जो काश्त करते हैं वे सब किसान हैं और उनकी हालत आप से छुपी नही है । जो मौजूदा बांटा लिया जाता है उसमें यदि किसानों को फायदा होता तो उनकी हालत कुछ सुधर सकती थी । मगर आप उनकी हालत को देखें तो आपको मालूम होगा कि उनके घर भर के सभी लोग कमाने और मजदूरी करने के बाद भी उनके बच्चों को पहिनने को कपड़ा नहीं और खाने को पूरा धान नहीं । इसका क्या कारण है ? अगर उनको फायदा होता तो ठीक हाल में होते । बड़े बड़े सुधारों की बातें करते हैं रामराज्य, कांग्रेस आदि कि सब सुधार हो जावेगा । लोग समझते थे रामराज्य हो जावेगा । कांग्रेस में किसानों को फायदा हो जावेगा; मगर में यह कहूंगा कि अगर नीयत साफ होगी तो यह काम हो सकता है। नीयत साफ करके ही दुनिया में किसी का दुख दूर किया जा सकता है । चाहे वह रामराज्य हो चाहे कांग्रेस ।(चीअर्स) में इस संबन्ध में आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता । महात्मा गांधीजी यह कहा करते थे कि किसी कांग्रेसी को ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं लेनी चाहिये । महात्मा गांधी का कहना यह था कि सब दुनिया को एक समान बर्ता जावे ।

श्री कुम्भाराम चौधरी:—यह बिल जो सदन के सामने है उसके संबन्ध में दो तीन तरह के विचार लाये गये हैं । सबसे पहला विचार जो है वह यह ह कि

राजस्थान में जो लेंड (भूमि) है वह एक तरह की नहीं है इसलिये इस बिल को अभी तो टाल देना चाहिये और इस सदन के कुछ सदस्यों की एक कमेटी बनाकर सिलेक्ट कमेटी के तरीके पर काम हो जाना चाहिये जिससे जमीन के पूरे हालात अच्छी तरह से मालूम हो सकें। और उसके बाद इस बिल को पेश किया जाय ताकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो और व्यवस्था अच्छी रहे। दूसरी तरह की बात यह है कि उपज का जो १।६ हिस्सा लगान के रूप में लेना तय हुआ है वह ज्यादा है; उसे घटा कर १।१२ कर दिया जाना चाहिये। एक और जो बात है वह यह कि इसको जल्दी नहीं लाया गया इसलिये अब इसको और देरी के लिये टाल दिया जाय। ये बातें सामने आई।

मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह बिल खास तौर से इसलिये लाया गया है कि राजस्थान में जागीरदार और किसान की समस्या एक मामूली समस्या नहीं है। यदि हम इस समय इसे टाल देते हैं तो सीधा सवाल यह हो जायगा कि मयाद खत्म हुई कि नियम बता कर दोनों की व्यवस्था को खत्म कर दिया जायगा और किसानों को जो राहत देना चाहते हैं वह चीज हाथ से निकल जायगी और फिर दोनों को समझाने और एक राह पर लाने के लिये सरकार के हाथ में कोई चीज नहीं रहेगी और यह व्यवस्था को और भी ज्यादा बिगाड़ने की बात होगी। इसलिये व्यवस्था, नियम और कानून को चलाने के लिये बहुत जरूरी है कि इस बिल को पास किया जाय यह कहने के लिये सभी एकमत हैं कि यह जरूरी है और है भी इसलिये कि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। अब यह सवाल है कि १।६ के बजाय १।१२ हिस्सा लिया जाय; इस पर गौर किया जाय। वेंकटाचार की रिपोर्ट पर पूरी जांच पड़ताल की गई। उनकी राय थी कि इस काम में १२ साल लगेंगे। इतना समय नहीं लगा तो कम से कम १० साल तो लगेंगे ही। यदि हम कुछ जल्दी करेंगे तो ८ साल में यह कार्य पूरा हो सकता है। बहुत ही जल्दी करेंगे और सब काम छोड़ कर इसी में लग जायेंगे तो भी २, ३ साल पहले तो यह काम होने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम जागीरदारों और किसानों के आपस में लड़ाई छिड़ा देंगे। इसलिये यह बिल हाउस (सदन) के सामने लाया गया है और यह जरूरी है कि इसे अभी पास किया जाय। यह देखना है कि १।६ भाग लिया जाय या १।१२। यह मानी हुई बात है कि यदि हम १।१२ हिस्सा कर देते हैं तो उससे हमारा विधान कमजोर रहेगा। यदि हम १।१२ करते हैं तो जमीन किसानों को काश्त के लिये नहीं देंगे और जमीन बेकार पड़ी रहेगी। हमारी पैदावार में घाटा रहेगा और गरीब किसान भूखों मरेंगे और सरकार के सामने समस्या और भी जटिल हो जायगी। हमें आगे बढ़ना है और व्यवस्था कायम करनी है हमें ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे व्यवस्था कार्य रूप में परिणित हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हम हासिल चौथे हिस्से से छठा हिस्सा कर रहे हैं यह भी हमारा प्रगति की ओर कदम है। यदि इसी तरह बढ़ते गये तो १।१२ या १।१६ करने का भी मौका आ जायगा और और भी आगे बढ़ते गये तो सारी समस्या ही हल हो जायगी। आज के युग में १।१२ हिस्सा करना किसानों को उस स्थिति में डालना है कि काश्त के लिये उन्हें कोई जमीन ही न दे। इसलिये मैं यही उचित समझता

हूं । इस बिल के सिद्धान्त को तो सारा हाउस मानता है । देरी के बारे में कह कर फिर देरी करना उचित नहीं। इसलिये यह बिल अभी पास हो जाना चाहिये और साथ ही में यह कहूंगा कि हिस्से की बात अभी तो वाजिब है । में इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य खतम करता हूं ।

श्री किशनलाल शाह:—अध्यक्ष महोदय, दोनों ओर से कुछ भाषण हुए। जहां तक उद्देश्य का प्रश्न है यह एक सर्व सम्मत सिद्धान्त है कि किसानों को रियायत मिलनी चाहिये। यह भी हम मानते हैं कि जब तक सेटलमेन्ट न हो तब तक यह जो बिल बनाया गया है उसे रोक दिया जाय। दूसरी ओर वे यह भी मानते हैं कि काश्तकारों को रियायतें मिलनी चाहिये; परन्तु कुछ विशेषताओं के कारण व लटाई व अन्य वातावरण के कारण, जब तक सेटलमेंट न हो, तब तक के लिये इसे टाल देना चाहिये। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है। यह हम मानते हैं कि काश्तकारों को रियायतें देनी चाहिये और अंतरिम काल के लिये इसे कार्यान्वित नहीं किया जाय—ऐसी दलीलें देकर यहां कुछ महानुभावों ने प्रकाश डाला है। में एक बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं। एक प्रश्न यह खड़ा हुआ है कि अब लटाई हो चुकी है इसलिये अब इस बिल को पास करने से कुछ किसानों को हानि होगी। इसके उत्तर में में निवेदन करूंगा कि नैतिकता और कानून के नाते, राजस्थान की परिस्थिति और समय के नाते इसमे टालमटोल करना उचित नहीं है। लटाई सब जगह नहीं हुई है और यदि किसी ने लटाई करली है तो जिन्होंने ऐसी दलील दी है उनसे में निवेदन करूंगा कि इस कानून के बन जाने के बाद जिन्होंने इससे अधिक लेलिया है तो नैतिकता के नाते वापिस करदें याआ यन्दा साल इसे बाद देदें। इसके माने यह नहीं है कि कानून जो बन रहा है उसे रोका जाय और जिन्होंने लगान नहीं दिया है उन्हें फायदा नहीं पहुंचने दिया जाय। ऐसी दलील साफ जाहिर करती है कि जो लोग यह कहते हैं कि काश्तकारों को रियायत मिलनी चाहिये, यह जमाने की मांग है। ऐसी थोथी दलीलें चल नहीं सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास करके काश्तकारों को रियायत दिलानी चाहिये।

श्री उदेलाल बरदिया:- आज हाउस में जो बिल पास होने जा रहा है उस पर भिन्न भिन्न चर्चाएं हाउस में हुई हैं, और जिन माननीय सदस्यों ने अपने सेटलमेंट के अनुभव को बताते हुए उस पर प्रकाश डाला है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मुझे इस बात का अनुभव है कि जब कभी भी, जहां किसी एक जगह उनके सेटिलमेंट आफिस ने कुछ काम किया वहां पर आपने जागीरदारों को ही फायदा पहुंचाया है और गरीब किसानों का गला घोंटा है। जो भी यहां प्रतिनिधित्व किया जा रहा है या कहा जा रहा है उसमें भी वही नीति बरती गई है। उनके जमाने में खालसा में तो सेटिलमेंट जल्दी हो गया लेकिन जागीरों में कई किसान अब तक वैसे ही बैठे हुए हैं। उनका सेटिलमेंट नहीं हो सका है। आज भी वे जागीरदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे है और किसानों का गला घोंटने के लिए योजनाएं पेश की जा रही हैं इस तरफ हाउस को ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा है कि राजस्थान के भिन्न २भागों में भिन्न २ प्रकार की पैदावार होती है। ऐसे कई हिस्से हैं जिनमें पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो इसका साफ

मतलब यह है कि जहां पैदावार ज्यादा होगी तो उसके अनुसार उनको हिस्सा मिलेगा, और कम होगी तो उसके अनुसार कम। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। इस बिल को टालने का जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा जाता है तो इसका साफ मतलब है कि किसी प्रकार गवर्नमेन्ट को यह बिल पास नहीं करने दें और गरीबों का गला गुटता रहे। इस बिल को किसी प्रकार टाला नहीं जाय और जल्दी ही इसको लागू कर दिया जाय। कई किसान इन्तजार कर रहे हैं कि धार सभा का जो सैशन चल रहा है उसमें कुछ उनके लिए होगा और इसी आशा में उन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया और अपना मुंह हाउस की तरफ लगाये हुए हैं।

श्री अवनिकुमार:--माननीय अध्यक्ष, इस सिलसिले में हाउस के सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके बारे में काफी वाद विवाद हाउस में हुए, कई लोगों ने अपने विचार हाउस के सामने रखे। कई लोग तो इस बिल को अच्छी तरह नहीं समझे है। कई लोगों ने यह दलील दी कि इस बिल के पास हो जाने से इसमें फसल पर यानी रबी की फसल के ऊपर इसका असर होगा। लेकिन यह तो इसमें साफ दिया हुआ है कि जब वह एक्ट लागू होगा, जो कि जून तक लागू होगा, तो यह तो उस एक्ट के बाद में ही लागू होगा। इससे वह सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए था। मैं मानता हूं कि यह कदम प्रगति के लिए है। लेकिन मेरा तो सुझाव यह है कि इस बिल को आज न लेकर दो दिन की छुट्टियों हैं इन दो दिन की छुट्टियों के बाद हम लें। इन दो दिनों के अन्दर हम इस पर सोच विचार करलें। मैं सदन का अमूल्य समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं इसलिए इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानसिंह:--अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो बिल आया है उसमें लिखा हुआ था कि चौथे बांटे के बजाय छठा बांटा कर दिया जाय। हालांकि हम लोगों को वह बिल मिला भी नहीं है आज तक नहीं मिला, अब तक वह बिल हमारे पजेशन में नहीं है तो फिर हम अपने विचार कैसे प्रकट कर सकते हैं, फिर भी जनता के हित को देखते हुए हम इस प्रकार के आदमी नहीं हैं कि जो जनहित का कार्य हो उसका विरोध करें। (कर्तल ध्वनि) हम उस प्रकार के आदमी नहीं हैं जो कि मोटरों पर लाखों रुपये खर्च करने हों और फिर उसके लिए डिविजन क्लेम (विभाजन की मांग) करते हों।

हम इस चीज को सहर्ष स्वीकार करते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सब आदमियों का समय बेकार की दलील और बहस करके क्यों नष्ट किया जाता है। वाजिब तो यह था कि हम ८ वां या १० वां हिस्सा डिसकस (विचार विमर्श) करके सिलेक्ट कमेटी में लाते। यह हो चुका कि सिलेक्ट कमेटी में इसको नहीं लाना है तो फिर आम बहस क्यों की जा रही है? मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि जो सब-टिनेन्ट हैं उनके लिए भी होना चाहिए कि वह भी अपनी जमीन उनको बटाई पर दें तो उनको छट्ठा बांटा ही दिया जाय, नहीं तो दूसरे जो लोग हैं वह जागीरदार हो जायेंगे।

मुझे तो यही दो शब्द कहना है। यही निवेदन करना है कि डिसकशन (वाद विवाद) गलत चीज पर क्यों किया जाता है। जो डिसक्शन (वाद विवाद) की चीज है जैसे एप्रोप्रिएशन बिल है उस पर तो सदन ध्यान नहीं देता; उसको एक ही स्ट्रोक से खत्म कर दिया गया। इस प्रकार की चीज पर आम बहस की क्या आवश्यकता है?

श्री कानसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने है उसकी बुनियाद किस प्रकार पड़ी है वह उसके स्टेटमेन्ट्स ऑफ आबजेक्टस एन्ड रीजन्स (उद्देश्यों तथा कारणों) में लिखा है: The traditional share of the State in the crops raised by tenants in India, as laid down by Manu, is one sixth which has been adopted as the basis of settlement in several parts of India.

मनुस्मृति के आधार पर यह अमेन्डमेन्ट पेश किया जाता है। हम लोगों की तरफ से, विरोधी दल की तरफ से जनता की राय के लिए या सिलेक्ट कमेटी के विचार विमर्श के लिये सुपुर्द करने की बात कही गयी है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पब्लिक (जनता) की बगैर राय जाने कि यह बिल जनता को मन्जूर है या नहीं, मनुस्मृति को आधार बता कर यह बिल पेश किया जा रहा है। मनु महाराज को हुए हजारों वर्ष हो गये और मनुस्मृति के सिद्धान्त अब हमारे देश में अमल में आरहे हैं। राजप्रमुख के भाषण में भी यह बताया गया था कि हम क्लासलेस सोसाइटी (वर्ग-हीन समाज) का निर्माण करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आरहा है कि सरकार का "क्लासलेस" से क्या मतलब है। एक तरफ तो मनुस्मृति को कोट (उद्धृत) किया जाकर हमारे सामने अमेन्डमेन्ट (संशोधन) रखा जाता है और दूसरी ओर क्लासलेस सोसाइटी की बात कही जाती है।

श्री दामोदर व्यास:—आन दी पाइन्ट आफ इनफोरमेशन सर, क्लासलेस का आप क्या मतलब लेते हैं?

श्री कानसिंह:—मेरा मतलब है कि जिस मनुस्मृति का अनुकरण कर रहे हैं क्लासलेस सोसाइटी के निर्माण में भी आपने मनुस्मृति का उल्लेख किया है।

इसका मायना यह हुआ कि जो बातें सरकार के खिलाफ है उस पर सरकार गौर करना नहीं चाहती। मनुस्मृति को मानने वाले जो मैंने अखबार में पढ़ा, बाहर सुना जो यह कहते हैं कि हिन्दु कोड बिल जो आरहा है उसमें मनु-स्मृति का पालन किया जा रहा है। इस तरह से हाउस के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो बातें इस तरह की हेस्टी लेजिस्लेशन से (विधान निर्माण में जल्द बाजी की) की जारही है। यह मेरे ख्याल से लेजिस्लेशन की और उसके सदस्यों की अवहेलना की जारही है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जागीरदार या जमीदार का किसी का पक्ष लेकर मैं नहीं आया हूं। मैं बीकानेर इलाके से आया हूं। वहां सेटलमेन्ट हो चुका है। वहां नकदी पैसा भी तय हो चुका है इस१।४, १।६ हिस्से में काश्तकारों की रहनुमाई का ख्याल नहीं रखा गया है। आज उसे रिवाइज करने (दोहराये जाने) की नौबत आई है तो पहले भी किसी पड़ौसी रियासत के हिसाब से किया गया होगा। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि इस प्रकार के हेस्टी लेजिस्लेशन से जनता को काफी तकलीफ होती है। इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। इसे रात को दिन और दिन को रात बनाकर सरकार ने कोई बुद्धिमानी की बात नहीं की है। हमारे यहां सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट (केन्द्रीय सरकार) के एडवाइजर्स (सलाहकार) बैठे हैं वे

क्या इस बात को नहीं देखते ? क्या वे नहीं सोचते होंगे यह किस प्रकार की अक्लमंदी का नमूना है ? वे इस प्रकार के हेस्टी लेजिस्लेशन बनाने पर सलाह क्यों नहीं देते ? वे यहा से जाकर क्या ख्याल करेंगे ? मेरा मतलब यह नहीं की इस बांटे को कम कर दिया जाय या नहीं लगाया जाय बल्कि यह है कि जनता की राय के लिये इसे सरक्युलेट (परिचारित) किया जाना बहुत आवश्यक था । जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जहां कहीं अपना स्वार्थ होता है वहां मनु को मानकर चलते हैं; बाकी बातों में मनु को याद भी नहीं करते । सरकार, जैसा कि मैंने पहले कहा, एडवाइजर्स की राय नहीं होती इस सम्बन्ध में और कुछ न कहते हुए यही अर्ज करूंगा कि जो रवैया सरकार ने । अख्त्यार कर रखा है वह काबिले एतराज है व काबिले गौर है।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल पर बहस अब तक हुई उससे ज्यादा कहने को मेरे पास कुछ रहता नहीं । कारण कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्ष, इस बिल के जो उद्देश्य हैं, उससे सहमत प्रतीत होते हैं। बल्कि उससे भी आगे कुछ किया जाय तो उसके बारे में भी वे सोचने के लिए और उसको अमली रूप में लाने के लिए तैयार प्रतीत होते हैं । में ज्यादा वाद विवाद में न पड़ कर कुछ वातें जो कही गई है उनके ऊपर ही अपने आपको केन्द्रित करना चाहता हूं ।

एक बात तो यह बताई गई है कि इस वक्त इसे यदि सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया (दिया) जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को भली प्रकार विदित ही है कि १।४ का कानून करीब एक वर्ष पहले से लागू है । में अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त यह विषय विचारणीय है कि आगे इस पर क्या कदम उठाया जाना चाहिए और इन्हीं बातों को लेकर आज इस बिल को यहां पर विचारार्थ पेश किया गया हैं। मैं समझता हूं कि १।६ का सिद्धान्त जो इसमें माना गया है वह सिद्धान्त राजस्थान के कई हिस्सों को ध्यान में रखते हुए ही फिलहाल कायम किया गया है । कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर लक्ष्य आकर्षित किया कि जहां पर तालाबों की जमीनें हैं वहां सिर्फ उनको बीज बो देने से ही काफी पैदावार होती है। वहां पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन वहां पर भी इससे अधिक का अनुपात रखना उचित नहीं होगा । में नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आम तौर से ऐसा सवाल जब कभी अकाल या कम वर्षा का समय होता है, तभी आता है। उस मौके पर ज्यादा से ज्यादा तरह की जमीन निकलती है उसमें काश्त की जाती है और हर एक काश्तकार के हिस्से में निजी तौर से, जानकारी के आधार पर में कहता हूं कि, बहुत छोटा २ टुकड़ा हिस्से में आता है जिससे वह बड़ी मुसीबत में अपना गुजर कर पाते हैं। तो यह बात कि उनको २५ बीघा जमीन आती है ऐसी बात नहीं है। मामूली तौर पर उनको जो जमीन मिलती है उनमें एक या दो बीघा मिलना ही मुश्किल हो जाता है। पर जब पैदावार ज्यादा होती है तो १।६ हिस्सा देंगे तो वह अपने आप ही बढ़ जाता है इसलिए वहां अधिक मिलने की गुंजाइश है ही नहीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर ऐतराज किया कि अभी जब कि कुछ जगहों पर बटाई हो चुकी है इसलिये मध्यम में लागू करना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यहां जिस बिल पर हम लोग विचार कर रहे हैं वह एक ऐसा है जिसके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राजस्थान के अन्दर उसको लागू करें । माननीय सदस्यों को विदित ही है कि शुरु के अन्दर यह पेश कर दिया गया था लेकिन बजट पर विचार विमर्श और निर्णय हो रहे थे इसलिए इसे नहीं लिया जा सका। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर किसानों को हम जितनी राहत दे सकें देने का प्रयत्न करें और अगर दोनों ही ओर की सद्भावना रही तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि अभी जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने जागीरदारों की ओर से हमें आश्वासन दिया कि इस मामले में जैसा भी तय किया जायगा उसके लिये हम तयार हैं, तो मैं समझता हूं कि जब आप लोग तैयार हैं तो इसकी जटिलता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किसान कम से कम देना चाहता है, स्वाभाविक तौर पर वह १।६ देना चाहेगा और जब दूसरे पक्ष की तरफ से जो बात रखी जाती है और यह बतलाया जाता है कि हम किसानों को हर तरह से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो यह तो जिस समय भी हम इसे लागू करें, इसमें कोई कठिनाई नहीं आती। अगर हमारी भावना स्पष्ट है, किसानों का हित स्पष्ट है तो यह प्रश्न उलझ जायगा ऐसा मैं नहीं मानता और न ऐसी स्थिति की कल्पना करने का बहाना ही होना चाहिए ।

इसके साथ २ यह भी कहा गया है कि अभी तक जो किसान दे चुके हैं, जिनसे पूरा लगान ले लिया गया है उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा अभी इसे लागू करने से। पर जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है, अभी तक आधा लगान ही वसूल किया गया है और जिन्होंने नहीं दिया है, उन्हीं को अवश्य फायदा पहुंचेगा। मैं समझता हूं कि अगर वे स्वयं भी इस पर विचार करेंगे तो इस बात को मानेंगे कि जिन्होंने दे दिया है उस चीज को लेकर हम किसानों को जो अधिक फायदा पहुंचने वाला है उसको रोक नहीं सकते। और इसी बात को सामने रखकर मैं चाहता हूं कि आप इसे यहां पर स्वीकृत करे। कई सदस्यों ने कहा कि राजस्थान के अन्दर कुछ हिस्सों में १।६ से भी कम लिया जाता है वहां पर भी पहले १।४ का कानून लागू होने से ही लेना शुरू हुआ है: तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान मूल एक्ट की धारा ७१ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार जो कम देते हैं उनके ऊपर तो कुछ बढ़ाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता वे कम दे सकते हैं। जिनसे ज्यादा लिया जाता है उनको कम करने के बारे में उसको यहां रखा गया है, इसलिए इसमें कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। बस, मुझे तो इतना ही कहना है । मेरे लिए उन बातों का जवाब देना आवश्यक नहीं जो कि अध्यक्ष महोदय, मोटरों और ट्रेवलिंग अलाउन्सों आदि के बारे में कही गयी है । उस सम्बन्ध में आम तौर पर कुछ नहीं कहना है । मुझे जो कुछ कहना था वह कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: बिल पर बहस समाप्त हुई। अब इस बिल को क्लाज बाई क्लाज लेंगे। कोई भी माननीय सदस्य अपना एमेंडमेन्ट पेश करना चाहें तो कर सकते हैं,

(विराम)

I think there is no one to catch my eye.

(विराम)

Now we proceed clause by clause.

(विराम)

The Question is: -- that clause 2 stand part of the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

Now the Question is that clause 3 stand part of the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

Clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि खण्ड चार को बिल का अंग बनाया जावे।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड ४ बिल का अंग स्वीकार किया जाता है।

(विराम)

सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि खण्ड पांच को बिल का अंग बनाया जावे।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड ५ को बिल का अंग स्वीकार किया जाता है।

(विराम)

सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि खण्ड छः को बिल का अंग बनाया जावे ।

श्री हरिदत्तः--क्या इस खण्ड ६ पर विचार नहीं होगा ?

माननीय अध्यक्षः--अवश्य होगा ।

श्री हरिदत्तः--जो सेक्शन निकाला (डिलीट किया) जा रहा है वह हमारे सामने होना चाहिये जिससे कि हम यह पता लगा सकें कि वह निकाला जा सकता है या नहीं ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-Clause(4)of section 3 of the principal Act lays down:'Unsettled area' means that area of land where settlement operations have not been started or if started have not been completed.

माननीय अध्यक्षः--Again the question is put whether clausa 6 of the Bill stand part of the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री दामोदरलाल व्यासः—अध्यक्ष महोदय, सेक्शन नं० ७, जो एमेन्डमेन्ट बिल का है, उसमें में निम्नलिखित एमेन्डमेन्ट पेश करता हूं

That sub-section (1) of section 7 of the Bill be deleted and the following be substituted in its place:—

"7. **Amendment of Section**— (1) In sub-section 4 of the principal Act, for the words 'one fourth', the words 'one sixth' be substituted.

अध्यक्ष महोदय, इस एमेन्डमेन्ट को पेश करने से मेरा मतलब यह है कि सरकार ने जो बिल पेश किया है, वह जिस मकसद को लेकर पेश किया गया है, वह इससे पूरा नहीं होता । इसलिये इस मकसद को पूरा करने के लिये मैंने यह एमेन्डमेन्ट पेश किया है जिससे काश्तकारों को राहत मिले । इस बिल में दो शब्द ऐसे आ गये थे कि जिससे काश्तकारों को राहत पूरी तरह से नहीं मिल सकती थी । राजस्थान में जो टिनेन्ट्स हैं उनमें से दरअसल में बहुत कम के पास ट्रान्सफरेबल लैंड्स (हस्तान्तर योग्य भूमियें) हैं । जिनके पास बापी को जमीन है या जो पट्टेदार काश्तकार कहलाते हैं सिर्फ उन्हीं को लैंड ट्रान्सफर करने का राइट (अधिकार) है यह अधिकार और किसी को नहीं है । ऐसी हालत में सरकार की तरफ से जो इरादा किसानों को राहत पहुंचाने का है वह पूरा नहीं होता और हेरिटेबल काश्तकारों को भी फायदा नहीं होता । इस ख्याल से मैंने यह एमेन्डमेन्ट पेश किया है । इसे पेश करने का मेरा मतलब सिर्फ

यह है कि इससे हर किस्म के काश्तकारों से छठा हिस्सा बांटे के रूप में लेना चाहिये। जिन हिस्सों में सेटलमेन्ट हो गया है उनके रेन्ट का हिसाब लगाया जाय तो १२ या १३ बांटा मिलता है इसलिये छठे हिस्से के बांटे का एमेन्डमेन्ट इतना जरूरी है कि जिससे वाकई किसानों को राहत मिलती है इसलिये निवेदन है कि मेरा एमेन्डमेन्ट मंजूर कर लिया जाय।

श्री हरिदत्त:—इस एमेन्डमेन्ट से यह पता नहीं चलता कि वास्तव में किस सेक्शन का एमेन्डमेन्ट चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह एमेन्डमेन्ट जो माननीय मित्र की तरफ से आया है उससे पता नहीं चलता कि प्रिन्सिपल एक्ट में किस २ जगह एमेन्डमेन्ट चाहते हैं। आपका एमेन्डमेन्ट इस प्रकार आना चाहिये था कि प्रिन्सिपल एक्ट में इन इन जगहों को तरमीम करना चाहिये। इसलिये एमेन्डमेन्ट के फोर्म पर मुझे आपत्ति है।

श्री दामोदरलाल व्यास:—यह एमेन्डमेन्ट जो पेश किया गया है उसमें प्रिन्टिग मिस्टेक होने की वजह से ऑनरेबल मेम्बर को यह ऐतराज है, परन्तु दरअसल मैंने जो एमेन्डमेन्ट दिया है मैं समझता हूं कि वह सही है और यह प्रिटिंग की गलती है। ऐसा होना चाहिये:-

"In sub-section (1) of section 4"

माननीय अध्यक्ष:—आई थिंक देट आल दी आनरेबल मेम्बर्स विल करेक्ट इट। इट इज ए टाइपिंग मिस्टेक।

श्री दामोदरलाल व्यास:—अत: मेरा संशोधन इस प्रकार है।

"That sub-section (1) of Section 7 of the Bill be deleted and the following be substituted in its place—

"**7. Amendment of section 4**

(i) In sub-section (1) of section 4 of the Principal Act, for the words 'one fourth' the words 'one sixth' be substituted".

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन यहां पेश किया गया है वह मुझे मन्जूर है।

माननीय अध्यक्ष:—So this amendment put in by Shri Damodar Lall Vyas is put to vote.

(विराम)
(संशोधन स्वीकृत हुआ)

माननीय अध्यक्ष:—संशोधन संख्या २ ।

श्री श्रीदास गोयल: अध्यक्ष महोदय, इस एमेन्डमेन्ट के स्वीकृत हो जाने के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की स्वीकृति फरमाई जाय ।

माननीय अध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न यह है कि श्री श्रीदास गोयल ने इस बिल के खण्ड ७ के लिये जो संशोधन पेश किया है उसे वापिस लेने की उन्हें आज्ञा दी जाए ।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री श्रीदास गोयल:—मैं इस एमेन्डमेन्ट को वापिस लेता हूं ।

श्री कपिलदेव:—अध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज ७ पर अपने निम्नलिखित ३ संशोधन पेश करता हूं:-

(3) "That at the end of Explanation to sub-section (2) of section 7 of the Bill the following words shall be added—

'Or any other natural produce".

(4) "That the proviso to the proposed sub-section 3 of section 4 of the Principal Act, mentioned in sub-section (4) of section 7 of the Bill be deleted."

(5) "That the proposed sub-section (4) of section 4 of the Principal Act mentioned in sub-section (4) of section 7 of the Bill be deleted."

संख्या ३ के लिये मुझे यह अर्ज करना है कि पाला और दूसरी चीजें जो कि वैसे ही पैदा होती हैं उनके लिए कोई चीज दर्ज नहीं है इसलिए इसका किसी भी तरह से इन्टरप्रिटेशन (व्याख्या) किया जा सकता है । मैं यह चाहता हूं कि वे चीजें भी ग्रोस प्रोड्यूस में शामिल की जायं । हालां कि माननीय राजस्व मंत्री जी यह बात इस बिल में जरूर मानते हैं कि लोगों को पाले पर किसी किस्म का कोई रेन्ट नहीं लगता है, लेकिन बावजूद उसके भी यह जरूरी है कि वह इसमें शामिल किये जायं क्योंकि बिल में यह साफ नहीं है । इसलिए एक्स्प्लेनेशन में मैंने यह शब्द आखिर में बढाने का प्रस्ताव रखा है जिससे कि पाला या किसी भी किस्म के खेवड़े आदि पर कोई रेन्ट लिया जाता हो तो काश्तकारों को इससे राहत मिलेगी जैसी कि इस बिल की मन्शा है । मुझे उम्मीद है कि सरकार इस एमेन्डमेन्ट (संशोधन) को स्वीकार कर लेगी ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डमेंट (संशोधन) अभी पेश किया गया वह भी हमें स्वीकृत है ।

श्री हरिदत्तः—माननीय अध्यक्षजी, मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमारे राजस्व मंत्रीजी हरएक एमेन्डमेंट (संशोधन) को बिना किसी दूसरे के विचार के जाने ही स्वीकार कर लेते हैं। उसमें कुछ जल्दी है, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई भी एमेन्डमेन्ट जल्दी में पेश करें और उस पर विचार सदन के सामने पूरी तरह नहीं रखे जायं तो कई संशोधनों में कमियां रह जाती हैं, क्योंकि जब यह राजस्थान एक्ट जब दूसरे सूबों में जायगा जहां कि ऐसे लेजिस्लेचर हैं जिनको कि पूरी जानकारी और तजुर्बा है तो ऐसी सूरत में किसी जल्दी के कारण कोई गल्ती अपने एक्ट में ऐसी रह जाय कि वे यह ख्याल करें कि राजस्थान असेम्बली में वाद विवाद हुए बिना ही बन जाते हैं।

श्री भवानी सहायः-ओन दी पाइन्ट आफ आर्डर, सर, जब कि एमेन्डमेंट पहले स्वीकार कर लिया गया है तो उसके बाद भी बहस रखी जा सकती है क्या ?

श्री इन्द्रनाथ मोदीः-में इस पर अर्ज करूंगा कि एमेन्डमेंट (संशोधन) माननीय राजस्व मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया तो उसका मतलब यह नहीं है कि सदन के और सदस्यों ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति तभी मानी जायगी जब कि हमारे माननीय स्पीकर महोदय इसका डिक्लेरेशन करेंगे कि यह स्वीकृत किया गया। इस वक्त तो हमारा अधिकार है कि हम उस पर बोलें। हम इस पर अवश्य बोलेंगे।

श्री भवानी सहायः -'स्वीकृत' शब्द नहीं कहा है, बल्कि यह कहा है कि बहस जारी रख रहे हैं।

श्री हरिदत्तः-अभी बहस शुरू ही कहां हुई थी कि "जारी" का सवाल आता है।

श्री भवानी सहायः—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र जो उस पर स्पीच दे रहे थे उसको भाषण न माना जाय या बहस नहीं समझी जाय।

श्री हरिदत्तः—मैंने अर्ज किया था कि इसमें कुछ आब्जेक्शन (आपत्ति) हैं इस पर विचार प्रकट करने के लिए कुछ मौका दिया जाय क्योंकि राजस्व मंत्री ने एमेन्डमेंट पहले ही स्वीकार कर लिया है। यह स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से मैं चाहूंगा।

माननीय अध्यक्षः- यू हेव आब्जेक्शन टू दी एक्सेप्टिंग आफ दिस एमेन्डमेंट बाई दी आनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर (आपको माननीय राजस्व मंत्री द्वारा इस संशोधन को स्वीकार करने में आपत्ति है)?

मेरा यह ख्याल है कि हाउस के सामने कोई भी मूवर किसी भी अपने प्रस्ताव पर किये गये एमेन्डमेंट को हर वक्त मन्जूर कर सकता है, इसमें

किसी किस्म का किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिये । हां, एमेन्डमेंट के स्वीकार किये जाने के बाद डिसकशन हो सकता है । सो फार एज दी एमेंडमेंट इज कन्सर्न्ड एवरी मेम्बर हेज ए राइट टू स्पीक । (जहां तक संशोधन से संबन्ध है प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है)

श्री कानसिंह:–अध्यक्ष महोदय, हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि यह बिल हेस्टी लेजिस्लेशन की तरह से पास किया जा रहा है, और उसका नमूना यह है कि हमारे माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने बगैर सोचे विचारे इसको कबूल कर लिया। जब कि एक्स्प्लेनेशन के अन्दर यह दिया हुआ है कि: एमेन्डमेंट बिल में पहले ही आ चुका है । सेक्शन २ के नीचे दिये हुए एक्स्प्लेनेशन (स्पष्टीकरण) में पाला वगैरह सब आ जाता है । अगर यह एक्स्प्लेनेशन में नहीं दिया गया होता तब तो यह दिया जा सकता था, लेकिन जब यह दिया हुआ है तो फिर आपको इस एमेंडमेंट को मन्जूर करना तो कोई काबिल चीज नहीं समझी जाती है ।

एक माननीय सदस्य:–अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में इतना सा निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने 'ग्रास' (घास) शब्द को ही 'पाले' में शामिल कर लिया है । 'पाला' 'ग्रास' (घास) में इन्क्लूड (सम्मिलित) नहीं होता है और एक दूसरी चीज ही आती है ।

माननीय अध्यक्ष:–सरकार को यह हर वक्त अधिकार है कि वह कोई भी एमेन्डमेंट (संशोधन) स्वीकार करे। अत:जिस एमेंडमेंट को श्री कपिलदेव अग्रवाल ने रखा है उसे आनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर ने स्वीकार कर लिया है ।

Shri Inder Nath Modi– want to know, Sir, whether it is correct that the copies of the original Act are available in the Secretary's office. I can surely say that I have no such information and that if we knew we would have taken, if we wanted a copy.

Perhaps I was not present at that time. Any way the matter is one of considerable importance. I beg to submit that one copy will not do. My humble submission is that due facility should be given to the members of the House. The legislative part is not an easy one. Some may think it is extremely easy but with due respect I can surely say that it is not so. In the absence of proper facility it is not possible to do anything. We should get every facility particularly in its legislative part.

श्री कपिलदेव अग्रवाल:--अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन २ तथा ३ के मुतल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि प्रश्न यह पैदा होता है कि अगर कोई काश्तकार जो १० बींघा सरसों, जीरा या धनिया बोता था, या गल्ले के अलावा और कोई चीज काश्त करता था तो इस प्रोवीजो के मुताबिक वह सिर्फ २।। बीघा ही काश्त कर सकता है, और अगर २।। बीघे से ज्यादा काश्त करेगा तो इस सेक्शन ४ का यह कहना है कि उसको पहले वाले लगान से दुगना लगान देना होगा। मेरे ख्याल से बिल में जो इस तरह का प्रोविजन किया गया है उसकी कोई यह मन्शा नहीं हो सकती है कि जो लगान अब लिया जाता है उससे ज्यादा लगान काश्तकारों से लिया जाय। इस बिल के सेक्शन ७ के सब सेक्शन ४ को जो एड किया (जोड़ा) गया है वह शायद इस भावना से एड किया गया हो कि काश्तकार गल्ला ज्यादा पैदा करें और दूसरी चीजें कम बोएं। इस भावना से प्रेरित होकर ही यह प्रोवीजन (प्रावधान) यानी सेक्शन ४ एड किया (जोड़ा) गया है, लेकिन मौजूदा बिल जो हाउस के सामने मौजूद है उसमें "ग्रो मोर फूड" (अधिक अन्न उपजाओ) का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे सामने सिर्फ यह प्रश्न आता है कि रेन्ट काश्तकार और सरकार यानी काश्तकार और लेन्ड लार्ड या सब टेनेन्ट या टेनेन्ट के बीच में रेग्यूलेट किया जाय। तो उस सूरत में किसी भी किस्म के ऐसे प्रोवीजो की जरूरत नहीं रहती है बल्कि यह काश्तकारों पर एक किस्म का बोझा साबित होता है और आज तक वह काश्त करते आये हैं उनमें डिस्टरबेंस (बाधा) होता है। वह अब तक जो काश्त करता आ रहा था उससे वह महरूम हो जाता है।

अत: माननीय अध्यक्ष, मेरा सुझाव है कि प्रस्तुत बिल के खण्ड ७ के उप खण्ड ४ में जो प्रोपोज्ड सब सेक्शन ३ का प्रोविजो है उसे हटा दिया जाय। और जब जब यह प्रोविजो हटा दिया जाता है तो प्रिन्सिपल एक्ट के सेक्शन ४ का प्रोपोज्ड सब सेक्शन ४ रिडन्डेन्ट हो जाता है।

श्री गोपीलाल यादव:--माननीय अध्यक्ष, मैं एक पोइन्ट रेज करना चाहता हूं सेक्शन ७ सब-सेक्शन ४ हमारी राजस्थान एसेम्बली पर लागू हैं। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर रूलिंग (निर्णय) देने के पहले इसे हाउस के डिसकशन (वाद विवाद) के लिए अलाउ (आज्ञा प्रदान) करें। निवेदन यह है कि आज एक अमेंडमेन्ट (संशोधन) आया, इससे पहले भी एक एक्ट के अन्दर एक अमेंडमेन्ट हो गया था। उस समय यह कहा गया था कि हाउस के सदस्यों के लिए उस एक्ट की कापी कन्ट्रीब्यूट की जायगी; लेकिन पता नहीं वह कापी कहां रखी गई है। हमें तो नहीं मिली। पहले यह कहा गया था वह हाउस की टेबल पर रखदी जायगी लेकिन वह देखने में नहीं आती। अब इस एक्क की भी कोई कापी हमें नहीं दी गई। अत: हम बिना देखे उस पर क्या अमेंडमेन्ट कर

सकते हैं। इसका ओरिजनल एक्ट (मूल अधिनियम) हमें नहीं दिया गया। अगर आयन्दा प्रोसीजर (विधि) के अनुसार हमें कन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो या तो हमको पैसे खर्च करने पड़ेंगे या किसी दूसरी जगह भागना पड़ेगा। इसके लिये हमारे बजट में न तो प्रोविजन ही है, न समय ही। मैं निवेदन करूंगा कि या तो हर एक मेम्बर को कापी सप्लाई कर दी जाय या कम से कम एक हफ्ते पहले वह हाउस की टेबल पर अवश्य रख दी जाय; ताकि हम सही अमेडन्मेंट कर सकें और तैयारी कर के आ सकें।

श्री दामोदरलाल व्यासः—माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस बिल की कॉपियां करीब आठ दिन से लॉबीज़ में पड़ी हुई हैं; अब भी मौजूद है।

श्री गोपीलाल यादवः—सारे एक्ट की कापी नहीं तो इस सेक्शन की कापी तो अवश्य होनी चाहिये।

श्री कपिलदेवः—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि सदन की अबतक कोई लाइब्रेरी नहीं है इसलिए हम कहां जाकर एक्ट देख सकते हैं। इसके साथ आश्वासन दिया जाय कि जो बिल थोड़े से होंगे उनकी एक एक कापी लाबीज में रखदी जायगी। लॉबीज से इस प्रकार का बिल देखने में नहीं आया है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात का मैं आश्वासन चाहता हूं।

मेरा सुझाव है कि जो मेम्बर मूव करना चाहते हों उन्हें ओरिजनल बिल (मूल विधेयक) दे दिया जावे। सब लोग तो अमेंडमेन्ट (संशोधन) करते नहीं हैं। जो लोग करते हैं उन्हें साइकलोस्टाइल करवा कर या टाइप करवा कर जैसा भी हो, जो मेम्बर कोपीज मांगे, उन्हें दे दी जावे तो सुविधा रहेगी।

श्री मानसिंहः—अध्यक्ष महोदय, अभी एक महानभाव ने यह फरमाया कि कोपीज (प्रतिलिपियां) सेक्रेट्री के दफ्तर में मिल सकती हैं। लेकिन मुझे जहां तक याद है आपकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि जब कभी भी कोई बिल वगैरह आयेंगे तो उनकी कोपीज लोबीज में मिलेगी। लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई बिल वगैरह लीबीज में नहीं रखा गया है। इधर आकर आप खुद भी देख सकते हैं। तो ऐसा होने की वजह से हम लोगों को इन बातों पर मजबूरन मौन धारण करना पड़ता है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि इसका प्रबन्ध इस सावधानी से किया जाय जिससे कि हम लोगों को हर तरह की १०–५ प्रकार की जो भी चीजे हों उनकी कोपीज़ (प्रतिलिपियां) वहां मिल सके।

माननीय अध्यक्षः—मैं, माननीय सदस्यों की जो कठिनाई है, उसको महसूस करता हूं। यह ठीक है कि लेजिस्लेशन का कार्य जिस योग्यता और तत्परता से होना चाहिए, उनके लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक एक्टों के जो बिल हैं उनकी कापीज (प्रतिलिपियां) उनके पास आफिस से अवश्य पहुंचनी चाहिए।

लेकिन मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य भी इस बारे में इस हाउस के साथ सहयोग की भावना से और ऐसे तरीकों से कार्य करें कि जिससे वे अपने ऐतराज केवल ऐतराज करने के लिए ही न उठायें। बड़े बड़े एक्ट जिनके अमेन्डमेन्ट (संशोधन) किए जाते हैं उनकी कोपीज़ (प्रतिलिपियां) इकट्ठी की जांय तो मुश्किल से १०–१५ इकट्ठी हो सकेंगी। जैसा कि बीकानेर म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में अमेंडमेन्ट बिल आया था। उसकी कोपीज़ के लिए मैंने स्वयं ने महसूस किया था कि माननीय सदस्यों के पास जो रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, उनकी प्रतियां पहुंचनी चाहिए। जब मैंने इसका पता लगाया तो पता चला कि ढूंढने पर शायद ही १०–१५ कोपीज मिल सकेंगी। यह भी बहुत मुश्किल था कि एक्ट फिर से छपाये जा सकें। इसलिए सदस्यों की सुविधा के लिए मैं चाहूंगा कि जितनी कोपीज़ मिल सकती हों वे टेबल ऑफ दी हाउस (सदन के मेज) पर लाकर रख दी जायंगी। इस तरह माननीय सदस्य सहयोग से अपना कार्य चला सकें तो अच्छा होगा।

श्री लालसिंह शक्तावतः–माननीय अध्यक्ष, जो एमेन्डमेंट (संशोधन) के सेक्शन (धारा) ७ के अन्दर तजवीज़ किया गया है उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन (स्पष्टी करण) हैं उसमें जो बातें बताई गई हैं उसके साथ श्री कपिलदेव ने "एनी अदर नेचुरल प्राडयूस (अन्य कोई प्राकृतिक उत्पादन) बढ़ाने की बात कही है। जहां तक मैं समझता हूं और समझ पाया हूं यह बिल पहले तो हमारे पास आया नहीं, आज ही आया है मेरा यह निवेदन है कि जो फसल पैदा होगी उसका तो बांटा ले लिया जावेगा और जो भूसा और स्टोक होगा उसमें कुछ नहीं लिया जावेगा। अब ,,एनी अदर नेचुरल प्राडयूस" (कोई प्राकृतिक उत्पादन) ये शब्द और जोड़ दिये जावेंगे तो मेरा यह खयाल है कि बीकानेर आदि दूसरे ऐसे स्थान हैं जहां पर कई जमीनें ऐसी हैं जिसमें बबूल या बेर ही पैदा होते हैं और उसमें कोई दूसरी फसल पैदा नहीं होती। वहां पर लोग पापड़ी बांटे के लिये जाते हैं। अगर नेचुरल प्राडयूस का यह अर्थ लगाया जावे जैसा कि होगा तो जो चीज जमीन से खुद पैदा होती हो, तो ऐसे खेत और जमीनें रेन्ट फ्री हो जावेंगी। जो इस धारा के नीचे एक्सप्लेनेशन (स्पष्टी करण) दिया हुआ है उसमें जो शब्द रखे हैं उनका यह मतलब है कि बांटा एक दफे ले लिया जावेगा तो घास फूस आदि पर नहीं लिया जावेगा। अब इसमें "नेचुरल प्रोडयूस" शब्द बढ़ाने से यह होगा कि इस प्रकार की जमीन जो रेगिस्तान में बहुत पाई जाती है रेन्ट फ्री रहेंगी और जो लोग अभी सरकार या जागीरदार को बांटा देते हैं, नहीं देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा न हो कि कहीं ऐसा करके हम गलती न कर जावें। चूंकि मैं बीकानेर आदि रेगिस्तान के कई इलाकों में घूमा हुआ हूं मुझे इस संबन्ध में जानकारी है, इस लिये मेरे ध्यान में यह बात आई। बहुत से लोगों को यह हाल मालूम नहीं, इस लिये मेरा निवेदन है कि पहले ही जो शब्द हैं उन्हें ही रहने दिया जाय और "एनी अदर नेचुरल प्रोडयूस" शब्द नहीं जोड़े जाने चाहिये।

माननीय श्री नाथुराम मिर्धाः–माननीय अध्यक्ष, अभी माननीय सदस्य ने जो अपने विचार हाउस के सामने रखे हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बेर ही पैदा होते हैं और उसके अलावा दूसरी चीज पैदा नहीं होती, मैं समझता हूं कि वे काफी तजुर्बेकार ओफिसर हैं और उन्होंने अपने अनुभव से कुछ कहा है। मगर मैं उनसे यह जानना चाहता हूं

कि क्या आप कृपया बतला सकते हैं कि कोई एक भी ऐसा इलाका है जिसमें बेर के अलावा दूसरी चीजें पैदा ही नहीं होती और दूसरे लगान नहीं लिये जाते और अगर कोई ऐसा क्षेत्र है तो मैं कहूंगा कि उस जगह कैश (नकद) के रूप में लगान लिया जाता है। परन्तु इस प्रोविजन को हटा कर जो सारी चीज का खुलासा करती है। यह कहना कि कई ऐसे स्थान हैं जहां बेर ही पैदा होते हैं ठीक नहीं प्रतीत होता। जिस तरह से जब एक किसान अपने खेत में बाजरा, मोठ आदि बोता है उसके साथ साथ उसके खेत में बोरडी भी पैदा होती है जिससे पाला होता है उसके लिए भी वे कहते हैं कि १।४ या १।६ हिस्सा दो इस पाले में छोटे २ बोर होते हैं जिसको किसान के बच्चे चुग २ कर खाते हैं। जागीरदार के भी खाने की मन में आती है तो छोरे और छोरियों (लड़के और लड़कियों) को कह कर मंगा लेते हैं। "नेचुरल प्रोडक्ट" अपने आप उगती है जैसे बोरड़ी, खेजड़ी आदि। मैं समझता हूं कि ऐसा इलाका एक भी नहीं होगा जहां सिर्फ बेर ही पैदा होता हो। मैंने भी राजस्थान को देखा है। अगर आप एक भी मिसाल क्वोट करदें कि इस प्रकार के खेत होंगे तो उन भागों को मुक्त कर दिया जायगा। मेरा यह खयाल है कि जो एमेन्डमेंट है वह सारी बातों को साफ करता है और पुराने जो झगड़े हैं उनको मिटाने के लिये बहुत अच्छा है। इसको पास किया जाय।

श्री लालसिंह शक्तावतः—माननीय अध्यक्ष, मेरे ध्यान में कुछ ऐसे प्लॉट्स (भूमि के टुकड़े) हैं जहां अकेले बबूल ही पैदा होते हैं और जहां लोंग, पापड़ी के सिवाय कोई चीज पैदा ही नहीं होती। इनको अगर माफी दी जावे कि उनसे कोई लगान नहीं लिया जावेगा तो वह रकबा जो थोड़ा होगा रेन्ट फ्री होगा। जब सरकार की यह नीति है कि रेन्ट फ्री कोई जमीन न रहे तो ऐसी हालत में यह क्यों होना चाहिये। महज सरकार की मंशा है कि कोई जमीन रेन्ट फ्री न रहे तो फिर ये शब्द रखने से उलझन पैदा होगी, उनका लगान माफ हो जाएगा। अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा कि वे कोई मिसाल बतावें तो इस संबन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि देरी तो अवश्य लगेगी मगर मैं कागजात देख कर बतलाऊंगा। बन्दोबस्त का ऐसा मौका आया है जिसमें इस प्रकार के इन्सटेन्सेज (उदाहरण) हमारे सामने आये। मैंने यह इसके स्पष्टीकरण के लिये अर्ज किया है।

श्री कपिलदेवः—माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सिर्फ उन्हीं जमीनों में लागू होगा जिन पर बांटा लिया जाता है। यानि जिन पर अनाज के रूप में लिया जाता है। रेन्ट फ्री जमीन पहले भी रही है। अब तक जो लोग बांटा नहीं दे रहे थे उन पर कोई बांटा नहीं लिया जावेगा। लोग पहले बांटा नहीं देते थे वे अब भी नहीं देंगे। केश एन्ड काइन्ड ग्रोस प्रोडक्ट पर १।६ से ज्यादा नहीं लिया जावेगा। उसमें खड़े पेड़ आदि नहीं आवेंगे। इस लिये आपका यह कहना दुरुस्त नहीं है।

श्री भीमसिंहः—माननीय अध्यक्ष, कुदरती पैदावार के बारे में प्रश्न सदन के सामने चल रहा है। इस संबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर सिवाय लोंग-पापड़ी के कुछ नहीं पैदा होता। मेरे मित्र ने उन इलाकों को नहीं देखा होगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो कुदरती पैदावार के बारे में चर्चा चल रही थी उसके बारे में मुझे अर्ज करना है कि यहां पर बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो रेगिस्तान के इलाके में कभी नहीं गये हैं इसलिये इसके महत्व को महसूस नहीं कर सकते । मेरे माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा है कि किस रेगिस्तान के इलाके में कितनी ज्यादा पैदावार होती है । वे उस इलाके से आये हैं इसलिये सारी बातें जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज करूंगा कि रेतीले इलाके में अनाज भले ही पैदा न हो पर कुदरती पैदावार इतना महत्व रखती ह कि लोगों का जीवन ही उन पर चलता है । पैदावार की इन चीजों में तीन चीजें मुख्य हैं, पाला, पानी, और लंग । पाला पांच रुपये मन से सात सात रुपये मन तक मिलता है । पानी जिसे कूचा कहते हैं इसका एक छोटा सा चार सेर का पूला एक रुपये में मिलता है और इसी तरह १० सेर लूंग का एक रुपया लगता है। अभी माननीय वित्त मंत्री ने यह फरमाया था कि जिस जमीन में खेती नहीं होती उससे हमें कोई सरोकार नहीं । आपको शायद यह मालूम नहीं होगा कि रेतीली जमीन के किसान भी रोटेशन ओफ क्रोप का महत्व जानते हैं और साल दर साल वे इसी तरह रोटेशन ओफ क्रोप करते हैं इससे कुछ जमीन पड़त रहती है । एक साल वे गवार बोवेंगे तो दूसरे समय उसमें बाजरा बोवेंगे तो तीसरे समय मूंग या मोंठ बोवेंगे । या वे ऐसा करते हैं कि १०० बीघा जमीन में से २५ बीघा में बाजरा, दूसरे पचीस में गवार और तीसरे २५ बीघों में मूंग या मोंठ बोवेंगे । जो बाकी २५ बीघा जमीन रह जाती है जिसे अड़ाई कहते हैं उसमें वे एक पाई भी लागत नहीं लगाते हैं और उसमें कुदरती पैदावार होती है । क्या ऐसे इलाके में जिसमें कुल कुदरती हो होती है आपको कोई सरोकार ही नहीं है? ऐसे बहुत से इलाके हैं जिनमें कोई पैदावार अनाज के रूप में नहीं होती । बाजरा, मूंग, मोठ आदि की पैदावार होती है उसके साथ भी कडवी डोके आदि की पैदावार होती है । अनाज निकालने के बाद जो डोके बच जाते हैं उनको कड़वी कहते हैं । उनकी कीमत भी उस अनाज की कीमत से चौथाई होती; है जैसे बाजरा की कीमत १४ रू० मन है तो कड़वी की कीमत ३ रु० ८ आना मन तक होती है । इसी तरह यदि गेहूं का भाव १६ रु० मन है तो कूडा ४ रु० मन होगा । इस लिये यदि हम कुदरती पैदावार को दूर कर देते हैं तो उसका बड़ा भारी असर हम पर पड़ेगा । इसलिये मैंने इस चीज को हाउस के सामने रखा है। आशा है सारे सदस्य इस चीज को महसूस करेंगे । इस चीज का असर गवर्नमेन्ट पर भी उतना ही पड़ेगा जितना जागीरदारों पर । खालसा के इलाके में भी जहां कुदरती पैदावार होती है उस पर भी असर पड़ेगा ।

श्री मदनमोहनः—अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया है उसकी दफा ७ के सब क्लाज २ के नीचे जो एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) है उसके नीचे ओर "एनी अदर नेचुरल प्राडयूस," (अथवा अन्य कोई प्राकृतिक उत्पादन) जोड़ने का एमेन्डमेन्ट श्री कपिलदेव ने रखा है । जहां तक इस एमेन्डमेन्ट के क्लाज की मंशा है, मेरा ख्याल है कि यह एमेन्डमेन्ट जो आप चाहते हैं वह इस एमेन्डमेन्ट बिल की स्पिरिट के खिलाफ चीज है । जैसा कि रेन्ट लिया जाने की तजवीज है और रेन्ट लिया जाता है वह ऐसी फसल पर लिया जाता है जो बोई जाती है । नेचुरल प्राड्यूस का न तो रेन्ट लिया जाता है और न इसे लिये जाने का कोई तात्पर्य है । जहां तक जोधपुर डिविजन का सम्बन्ध है वहां के टिनेन्सी एक्ट में

यह लिखा हुआ है कि ग्रोस प्रोड्यूस शामिल नहीं की जायगी और नेचुरल प्रोड्यूस शामिल नहीं होगी । इसके मायने यह होते हैं कि दूसरे एक्ट की तरमीम भी इसके जरिये हो जाती है जो हाउस के सामने नहीं है । मेरा कहना यह है कि यह एमेन्डमेन्ट बिल की मंशा के खिलाफ है ।

श्री बलवीरः—माननीय अध्यक्ष, यह बतलाया गया है कि शेखावाटी और दूसरे रेतीले इलाकों में कुदरती पैदावार बहुत होती है । मैं नहीं समझ सकता कि छठा हिस्सा पैदावार का ले लेने के बाद भी घास, कड़बी, लूंग, पाला वगैरा में से हिस्सा क्यों लेना चाहते हैं ? उनको क्या पता है कि किसानों को कितना २ खर्चा करना पड़ता है । उनको तो वगैर किसी खर्चे के इतना हिस्सा मिलता ही है फिर भी रोड़ा अटकाना चाहते हैं । जिस तरह का एमेन्डमेन्ट रखा गया है, वह ठीक है, मैं इसकी ताईद करता हूं ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः— अध्यक्ष महोदय, बात तो बहुत सीधी सी मालूम देती है और इसमें किसी तरह के वादविवाद की गुंजायश ही नहीं है और न ज्यादा इल्युसिडेशन (विशदीकरण) की आवश्यकता है । केवल, क्लाज (खण्ड) के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है उसको साफ करने के लिये "और ऐनी अदर नेचुरल प्रोड्यूस" शब्द और बढ़ाने का प्रश्न है । नेचुरल प्रड्यूस के माने, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने विश्लेषण करके बताया, जिस चीज की पैदावार कुदरती ढंग से होती है उसे कहते हैं । उसे इसमें शामिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

जैसे कि खेजड़ी है, इस तरह की जो चीज है मैं समझता हूं और मानता हूं कि 'नेचुरल प्रोड्यूस' है । इसको एक्जेम्प्ट (मुक्त) करना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है । यह लेन्ड लॉर्डस, लेन्ड ओनर्स और किसानों के बीच एक से अधिक जगह झगड़े का कारण रहा है । किसानों का बहुत दिनों से कहना यह रहा है और मैं समझता हूं कि यह न्याय के साथ रहा है कि जो पैदावार वह खेती में करता है उसके ऊपर ही लगान के रूप में देता रहे, लेकिन आम तौर से नेचरल प्रोड्यूस को वह एन्ज्वाय (उपभोग) करता है, नेचुरल प्रोड्यूस का कोई हिस्सा लगान के रूप में नहीं लिया जाय । कुछ दिनों से जरूर यह टेन्डेन्सी (प्रवृत्ति) लेन्ड होल्डर्स (भू-धारकों) की रही है और वे इस प्रकार के नेचुरल प्रोड्यूस का हिस्सा लेने लगे हैं और कई जगह तो यह भी हुआ है कि वे इसे अपना एक्सक्लूजिव राइट (एकाधिकार) मानते हैं । खेती पर कब्जा तो किसान का होता है और किसान उसका लगान देता है । कई जगह ऐसा होता है कि खेत के अन्दर जो नेचुरल प्रोड्यूस होती है उसका ठेका किसी और को दे देते हैं, उन्हें वे दूसरे को बेच देते हैं । उसके कारण कई दफा फोजदारियां हुई हैं, मारपीट हुई है । इन सब चीजों को दूर करने के लिए यह एमेन्डमेन्ट पेश किया गया है । यह बहुत ठीक पेश किया गया है । सरकार उसको मानती है और मुझे यह कोई गैरवाजिब बात नहीं दिखाई देती है । इस पर एतराज क्यों किया जाता है ? मैं कहता हूं कि हमारे दूसरे मित्रों को भी जैसा कि वे कहते हैं कि वे समय की गति को पहचानते हैं, तो कहना एक बात है और समय की गति को पहचानना दूसरी बात । इस प्रस्ताव को स्वीकार कर अपनी सद्भावनाओं

का परिचय देना चाहिए । इसमें ज्यादा वादविवाद की जरूरत नहीं है। जिस एमेन्डमेन्ट को सरकार मान लेती है उसमें विरोधी दल के मित्रों को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए और उसे मान लेना चाहिए।

श्री खेतसिंह:—माननीय अध्यक्ष, चूंकि अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह राय प्रकट की है और सदन की भी ऐसी राय है तो यह एमेन्डमेन्ट (संशोधन) पास अवश्य होगा । लेकिन मैं इसके मुताल्लिक सदन को अवश्य बतलाना चाहता हूं कि सदन के उस ओर से जो भाव उस मुताल्लिक प्रकट किये गये हैं उनसे मालूम होता है कि वे वास्तविक हालत से वाकिफ नहीं हैं। इसका असर सबसे ज्यादा उन इलाकों पर होगा जहां कि हमें इस पाले पर ही वास्तव में मुकादा हासिल होता है, जहां महज नेचुरल प्रोड्यूस पर ही मुकादा हासिल होता है। क्योंकि वहां पर और कुछ नहीं होता है । हमारे यहां शेरगढ़ का हिस्सा ऐसा है, जहां कि बीसों गांव ऐसे हैं जिन पर महज पाले की बुनियाद पर ही मुकादा वसूल किया जाता है क्योंकि वहां कोई भी काश्त नहीं हो सकती है । यदि ऐसा कानून उन इलाकों के लिए मन्जूर कर दिया गया तो मैं साफ तौर से कह सकता हूं कि वह सारा इलाका रेन्ट फ्री इलाका हो जायगा । जब कि पाले का सवाल नहीं रहता है, खेजड़ी का कुछ नहीं देना होता है तो इस हालत में मुकादा वसूल करने की सूरत ही नहीं रहती है। शेरगढ का आपको पूरा पता नहीं है कि वह कैसा रेन्टेड एरिया है, लोग कितनी मुश्किल से रेन्ट देते हैं । उस पर इसका बड़ा भारी असर यह पड़ेगा कि जब दूसरे इलाकों में सब जगह यह पास हो जायगा कि पाला और खेजड़ी पर कोई भी कुछ नहीं ले सकता है तो उसका इफेक्ट (प्रभाव) नेचुरली (वस्तुत:) उन पर भी पड़ेगा । जब पास के इलाके में यह मुफ्त हो जायेंगे तो नेचुरली वहां के लोग यह कहेंगे कि जब वहां पाले वगैरह पर कुछ नहीं देते हैं तो हमारे हिस्से में भी कुछ नहीं देंगे इसलिए उनसे मुकादा हम वसूल नहीं कर सकेंगे। मैं यह बात जागीरदारी प्वाइन्ट आफ व्यू से नहीं कह रहा हूं कि हमारी वहां कोई बहुत मोटी आमदनी होती है । हम तो वहां पर बड़ी मुश्किल से बोथ दी एन्ड्स मीट कर सकते हैं । हमारी तो ऐसी हालत रहती है कि उनसे मुकादा लेकर राज में जमा करा देते हैं। इससे बढ़कर हमारी कोई जागीर वहां नहीं है। अगर पास के इलाकों में भी यह माफ हो गया तो वह भी कहेंगे कि पचभद्रा में पाले पर कुछ नहीं लिया जाता है तो वहां, जब वहां पर खेजड़ी पर कुछ नहीं लिया जाता है तो फिर हमारे यहां पर भी जो पाला, खेजड़ी है उसके हम मालिक होंगे। हम भी कुछ नहीं देना चाहते हैं । यदि यह हो गया तो वहां मुकादा वसूल करने में बहुत मुश्किल हो जायगी । इन्हीं नेचुरल प्रोड्यूसों पर ही तो वहां मुकादा वसूल किया जाता है । इसलिए इसमें कुछ एक्सेप्शन्स (छूटें) रख दिये जायं, तो बेहतर है ।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कुछ माननीय मित्रों को इसमें कुछ मिसअन्डरस्टेंडिंग (भुलावा) हो रही है। जहां तक मैं समझ सका हूं कि यह धारा उस जमीन पर बिल्कुल लागू नहीं होती है जिसमें खेती नहीं की जाय, न यह धारा उन पेड़ों पर लागू होती है

जो किसी खेत के अन्दर खड़े होते हैं। नेचुरल प्रोड्यूस से मतलब उन चीजों से है जो सालाना वहां बरसात के दौरान में पैदा हो जाती है और जिनकी खेती ज्वार बाजरी की तरह नहीं की जाती है। उन पर किसी टेक्स का उनका ख्याल हो तो मेरा यह ख्याल है कि यह डर उनको बेकार पैदा हो गया है।

माननीय अध्यक्ष:—अब प्रश्न यह है कि श्री कपिलदेव ने जो तीन संशोधन बिल के क्लाज ७ पर रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय या नहीं।

(स्वीकृत)

माननीय अध्यक्ष:— The question is

that the amended clause 7 which stands as under stand part of the Bill—

"7. *Amendment of section 4*:—(1) In sub-section (1) of section 4 of the Principal Act for the words "one-fourth", the words "one-sixth" shall be substituted.

(2) To sub-section (1) of section 4 of the Principal Act the following Explanation shall be added, namely:—

'*Explanation.*—The expression "gross produce" in this sub-section shall not include the straw chaff (bhusa) or the dry stalks of a crop or grass or any other natural produce.'

(3) In sub-section (2) of section 4 of the Principal Act, after the words "been paying" the words "or may after such commencement agree with his landholder to pay" shall be inserted.

(4) After sub-section (2) of section 4 of the Principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) If for any land, to which this Act applies, cash-rent at a customary rate (locally called bighori) is payable in respect of any crop such as cotton, fodder, zeera, dhania, tobacco, linseed and the like, such cash-rent shall notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and 2 continue to be payable."

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

The amendment clause is added to the Bill.

माननीय अध्यक्ष:—The question is that clause 1 of this Bill which reads as follows stand part of the Bill:—

"This act may be called the Rajasthan Produce Rents Regulating (Amendment) Act, 1952."

Stand part of the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

Clause 1 is added to the Bill.

टाइटल एन्ड प्रीएम्बल

माननीय अध्यक्ष:—The question is that the title and preamble be added to the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

यह टाइटल और प्रिएम्बल इस बिल के अंग स्वीकृत किये गये।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पास किया जाय।

माननीय अध्यक्ष:—The question is that this Bill as amended be passed.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

The Bill is passed.

(करतल ध्वनि)

माननीय अध्यक्ष:—अब सदन की बैठक २१ अप्रेल के ८।। बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १२ बजकर ३० मिनट पर तारीख २१ अप्रेल, १९५२ के ८।। बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सभा भवन
जयपुर,
दिनांक, १८ अप्रेल, १९५२।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
विधान सभा, राजस्थान